

जनपद हरिद्वार की गंगा एवं सहायक नदियों में
कम्प्यूटरीकृत

धर्मकांटा, सी०सी०टी०वी०, इंटरनेट एवं आर०एफ०आई०डी०
(Radio Frequency Identification Device) (वाहनों के नियन्त्रण
हेतु) की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव हेतु निविदा प्रारूप
एवं शर्तें

(Two Bid System)

प्रधान कार्यालय – उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
अरण्य विकास भवन

73–नेहरू रोड़, देहरादून–248001

पत्र सं०–उ–1602 / दिनांक 12.07.2023 द्वारा संशोधित विज्ञप्ति

क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय–क्षेत्रीय प्रबन्धक (गढ़वाल क्षेत्र)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

कोटद्वार

सारिणी

निविदा प्रारूप के भाग	निविदा प्रारूप के भाग का विषय	पृष्ठ संख्या
	निविदा सूचना	02-03
भाग-1	निविदादाता हेतु दिशा-निर्देश (Instructions to Bidders)	4-9
भाग-2	खनन लॉट में उप खनिज चुगान की प्रक्रिया (Procedure of mining minor minerals in Lots)	10-11
भाग-3	धर्मकांटों हेतु तकनीकी विशिष्टताएं (Technical Specifications)	12-13
भाग-4	सीसीटीवी कैमरों हेतु तकनीकी विशिष्टताएं (Technical Specifications)	14
भाग-5	आर0एफ0आई0डी0 (Radio Frequency Identification Device) से सम्बन्धित तकनीकी विशिष्टताओं का विवरण	15
भाग-6	इंटरने से सम्बन्धित तकनीकी विशिष्टताओं का विवरण	16
भाग-7	कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों तथा सीसीटीवी कैमरों की तकनीकी निविदा प्रपत्र (Format for submission of Technical Bid)	17-20
भाग-8	कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों तथा सीसीटीवी कैमरों की वित्तीय निविदा प्रपत्र (Format for submission of Financial Bid)	21
भाग-09	निविदा हेतु वचनबद्धता का प्रपत्र (Format for submission of Letter of Undertaking)	22-23
भाग-10	संविदा अनुबन्ध (Contract Form with all the conditions and terms)	24-32

निविदा सूचना

जनपद हरिद्वार की गंगा एवं सहायक नदियों में कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे, सीसीटीवी कैमरो, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 (Radio Frequency Identification Device) की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव कार्य हेतु दो निविदाओं वाली प्रणाली के अन्तर्गत निविदा आमंत्रण की सूचना

क्षेत्रीय प्रबन्धक (ग0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम कोटद्वार द्वारा गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र की विभिन्न निकासी गेटों पर रेता, बजरी, बोल्टर, दड़ा उप-खनिज की निकासी हेतु कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे, सीसीटीवी कैमरो, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 की स्थापना, 03 वर्ष (खनन सत्र 2023-24 से 2026-27 तक) हेतु स्थापना, संचालन एवं रखरखाव कार्य हेतु अनुभवी इच्छुक व्यक्ति एवं पंजीकृत (रजिस्टर्ड) फर्म/कम्पनी/समिति से मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा हेतु प्रारूप एवं अन्य विवरण किसी भी कार्य दिवस एवं समय में रु0 5000/- (18% GST अतिरिक्त) कुल धनराशि रु0 5900/- नकद अथवा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के नाम निरूपित बैंक ड्राफ्ट संलग्न करते हुए प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के कार्यालय से दिनांक 25.07.2023 के अपरान्ह 4.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रारूप <http://uafdc.in> वेबसाइट पर स्पष्ट प्रकट है, से भी डाउनलोड कर सकते हैं। निविदायें केवल मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/दस्ती (By hand) से दिनांक 28.07.2023 के अपरान्ह 4.00 बजे तक प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के कार्यालय में प्राप्त होनी चाहिए, जो दिनांक 31.07.2023 को पूर्वाहन, 11.00 बजे निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। नदी के सभी गेटों के लिए निविदा देनी होगी परन्तु, पृथक-2 गेटों हेतु निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

निकासी गेटों का विवरण जहाँ कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे, सीसीटीवी कैमरो, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव कार्य किये जाने हैं -

क0 सं0	वाहन गेटो का नाम	कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों की सं0	RFID संयंत्र की सं0	प्रस्तावित सीसीटीवी कैमरो की सं0	धरोहर धनराशि	उपखनिज निकासी लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1	गैंडीखाता	2	4	4	रु0-25.00 लाख मात्र	अधिकतम 17.71 लाख घ0मी0
2	रवासन	2	4	4		
3	कटेबड़	1	2	2		
4	कोटावली	1	2	2		
5	अंजनीचौड़	1	2	2		
6	गंगा क्रेसर	1	2	2		
7	चिड़ियापुर	1	2	2		
8	भोगपुर	1	2	2		
9	टाण्डाभागमल	1	2	2		
10	कुण्डी	1	2	2		
11	बिशनपुर	1	2	2		
12	अजीतपुर	1	2	2		

नोट-

1. प्रभागीय प्रबन्धक, हरिद्वार की पत्र सं0-432/धर्मकांटा, दिनांक 7.7.2023 के क्रम में, क्रमांक संख्या-10 से 12 तक के गेट निजी भूमि के अंतर्गत है, जिनका स्वामित्व सफल निविदादाता को स्वयं लेना होगा।

2. दो निविदाओं वाली प्रणाली के अन्तर्गत निविदायें दो भागों में आमंत्रित की जा रही हैं, तकनीकी निविदा में तकनीकी विवरण के साथ व्यापारिक शर्तें और निबन्धन आमंत्रित हैं और वित्तीय निविदा में तकनीकी निविदा में उल्लेखित मदों के लिये निविदा मूल्य आमंत्रित हैं।
3. इस निविदा में गौला.नदी से उप खनिज का अधिकतम आयतन 17.71 लाख घ0मी0 प्रति वर्ष विदोहित (Extracted) किया जा सकेगा। लक्ष्यों में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार परिवर्तन भी सम्भव है।
4. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 20.01.2023 के क्रम में, इस निविदा में कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे, सीसीटीवी कैमरों, इंटरनेट एंव आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र स्थापना शुल्क, जो रू0 0.075 (जी0एस0टी0 दर अतिरिक्त जो समय-समय पर नियत दर के अनुसार लागू होगा) प्रति कुन्तल से अधिक नहीं होगा।
5. इस निविदा में गेटों की संख्या व उन पर लगने वाले धर्मकांटों की संख्या कम व अधिक की जा सकती है।

प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

भाग-1—निविदादाता हेतु सामान्य दिशा-निर्देश

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

गंगा एवं सहायक नदियों में कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों, सी0सी0टी0वी0 कैमरों, इंटरनेट तथा आर0एफ0आई0डी0

(Radio Frequency Identification Device) की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव कार्य हेतु निविदा प्रपत्र का प्रारूप

1. एक फर्म/कम्पनी/व्यक्ति/संस्था, एक या एक से अधिक नदियों के लिए निविदायें प्रपत्र पृथक-पृथक से प्रपत्र जमा करायेगा/प्रस्तुत करेगा।
2. एक या एक से अधिक जमा करायी गयी निविदाओं के लिए अलग-अलग बंधक/धरोहर धनराशि एवं सम्बन्धित दस्तावेज पृथक-पृथक से जमा करायेगा। प्रत्येक नदी के लिए अलग फार्म पर सम्बन्धित नदी का नाम लिखते हुए सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करेगा।
3. दो निविदाओं वाली प्रणाली के अन्तर्गत निविदायें दो भागों में आमंत्रित की जा रही हैं। तकनीकी निविदा में तकनीकी विवरण के साथ व्यापारिक शर्तें और निबंधन आमंत्रित हैं और वित्तीय निविदा में तकनीकी निविदा में उल्लिखित मदों के लिये निविदा मूल्य आमंत्रित हैं।
4. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदा में उपकरणों / संयंत्रों आदि के मानकों की जांचोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदा में मानकों के उपयुक्त नहीं पाये जाने पर निविदादाता की वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी।
5. वित्तीय बोली, तकनीकी बोली खोले जाने के 02 दिन बाद खोली जाएगी जो दिनांक 02.08.2023 को 12.00 बजे निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के सभागार कक्ष में खोली जायेगी।
6. निविदा प्रारूप के भाग-2 में आरक्षित वन क्षेत्र की नदियों में उप-खनिज चुगान करने की प्रक्रिया में कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 के संचालन के सम्बन्ध में, सामान्य जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
7. इस निविदा प्रारूप के भाग-3, 4 5 व 6 में तकनीकी विशिष्टताओं के सम्बन्धित मानक दिये गये हैं। इस निविदा प्रारूप के भाग-7 में तकनीकी निविदा (Technical Bid)का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। तकनीकी निविदा दो भागों में विभाजित है। तकनीकी निविदा के प्रथम भाग में इस निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अर्हता से सम्बन्धित अभिलेख एवं अन्य जानकारी इंगित की गई है। तकनीकी निविदा के द्वितीय भाग में कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे, सी0सी0टी0वी0 कैमरों, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 संयंत्र की स्थापना हेतु आवश्यक तकनीकी विशिष्टतायें इंगित की गई हैं। प्रत्येक निविदादाता द्वारा अपने कार्यालय के Letter Head पर उक्त भाग-7 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार तकनीकी निविदा टंकित कर मय संलग्नकों के साथ सीलबंद लिफाफे में मूल्यांकन हेतु प्रेषण हेतु तैयार करेगा। तकनीकी निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर करना एवं मुहर लगाना अनिवार्य है। इस निविदा के भाग-9 में निविदादाता द्वारा वचनबद्धता का पत्र (Letter of Undertaking) के प्रारूप के अनुसार निविदादाता अपने Letter Head पर टंकित कर हस्ताक्षर एवं मुहर लगा कर तकनीकी निविदा को प्रेषित करेगा।
8. तकनीकी निविदाओं (कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटा निर्माण, स्थापना एवं संचालन) हेतु निविदादाता का विगत 03 वर्षों में रू0 10.00 करोड़ का सालाना टर्नओवर होना आवश्यक है।

9. निविदादाता के पास कम्प्यूटीकृत धर्मकांटा निर्माण एवं मरम्मत कार्य की दक्षता एवं निजी निर्माण यूनिट (फैक्टरी) का होना अनिवार्य है।
10. निविदादाता की कम्पनी/फर्म/सोसायटी को EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा निविदा प्रपत्र के साथ सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र में विवरण अंकित करते हुए संलग्न की जानी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त निविदादाता की कम्पनी/फर्म/सोसायटी का EPFO के साथ समव्यवहार होना भी आवश्यक है, जिस हेतु प्रमाण स्वरूप EPFO में गत 03 वर्षों का माहवार स्टेटमेन्ट की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
11. निविदादाता की कम्पनी/फर्म/सोसायटी को ESIC (Employees' State Insurance Corporation) विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा निविदा प्रपत्र के साथ सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र में विवरण अंकित करते हुए संलग्न की जानी अनिवार्य है।
12. निविदादाता की कम्पनी/फर्म/सोसायटी को GST (Goods and Services Tax) विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा निविदा प्रपत्र के साथ सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र में विवरण अंकित करते हुए संलग्न की जानी अनिवार्य है।
13. निविदादाता की कम्पनी/फर्म/सोसायटी का PAN (Permanent Account Number) होना अनिवार्य है तथा निविदा प्रपत्र के साथ सम्बन्धित PAN की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य है।
14. निविदादाता की कम्पनी/फर्म/सोसायटी का धर्मकांटों के संचालन, रखरखाव, मरम्मत आदि कार्यों हेतु बॉट माप तौल विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है तथा निविदा प्रपत्र के साथ सम्बन्धित पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य है।
15. निविदादाता के पास बॉट माप तौल विभाग के तहत धर्मकांटा निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लाईसेंस की सत्यापित प्रति होना अनिवार्य है। प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित लाईसेंस की स्वप्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य है।
16. धर्मकांटे का माडल Director Legal Metrology Government of India या उत्तराखण्ड सरकार के सम्बन्धित विभाग से Approved होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न करनी अनिवार्य है।
17. निविदादाता की कम्पनी/फर्म/सोसायटी आदि किसी भी सरकारी संगठन या स्वायत्त/जाँच निकाय द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए। प्रमाण स्वरूप इस आशय का नियमानुसार शपथ पत्र निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
18. तकनीकी निविदा में सफल होने हेतु, पात्रता के क0सं0 8 से 17 अर्हताएँ पूर्ण करने के अभिलेखीय साक्ष्य (सत्यापित प्रमाण-पत्र/रजिस्ट्रेशन पत्र) यदि सीलबन्द तकनीकी निविदा लिफाफे में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो, ऐसी स्थिति में अर्हताएँ पूर्ण नहीं करने के आधार पर प्राप्त निविदाओं में तकनीकी मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जायेगा। इस तरह की प्राप्त Technical Bid (निविदाओं) में Financial Bid पर भी विचार नहीं किया जाएगा। (Non-Congrisable and Non-responsive Bid)
19. निविदा में प्रतिभाग बनाये रखने हेतु कम से कम प्रथम तीन (Top Three) सफल प्रतिभागियों को ही वित्तीय निविदा हेतु चयनित किया जायेगा एवं तदनुसार ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
20. इस निविदा प्रारूप के भाग-8 में वित्तीय निविदा (Financial Bid) का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। निविदादाता द्वारा अपने कार्यालय के Letter Head पर उक्त भाग-8 में दर्शित निर्धारित प्रारूप के अनुसार वित्तीय निविदा टंकित कर सीलबंद लिफाफे में मूल्यांकन हेतु प्रेषण के लिये तैयार करेगा। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए निविदादाता को हस्ताक्षर करना एवं मुहर लगाना अनिवार्य है।
21. निविदादाता के सुलभ सन्दर्भ हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 20.01.2023 में, तुलाई आर0एफ0आई0डी0 एवं इंटरनेट, सी0सी0टी0वी0 की अधिकतम सीमा रू0 0.075 प्रति कुन्तल (जी0एस0टी0 दर अतिरिक्त जो समय-समय पर नियत दर के अनुसार लागू होगा) धनराशि उल्लिखित है।
22. तकनीकी निविदा (Technical Bid) को लिफाफे में रख कर, सील बंद कर, लिफाफे के ऊपर स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में लिखें, "गंगा एवं सहायक नदियों के विभिन्न निकासी गेटों पर धर्मकांटें, सीसीटीवी कैमरों, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र हेतु तकनीकी निविदा"। (यह लिफाफा आकार में बड़ा होगा)

23. वित्तीय निविदा (Financial bid) को लिफाफे में रख कर, सील बंद कर, लिफाफे के ऊपर स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में लिखे "गंगा एवं सहायक नदियों के विभिन्न निकासी गेटों पर धर्मकांटें सीसीटीवी कैमरों, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र हेतु वित्तीय निविदा"। (यह लिफाफा आकार में छोटा होगा)
24. वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा के सीलबंद लिफाफों को एक मुख्य लिफाफे में रख कर माहरबन्द कर निविदा प्रेषित करना होगा। इस लिफाफे पर गंगा एवं सहायक नदियों के विभिन्न निकासी गेटों में कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे सीसीटीवी कैमरों, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव हेतु निविदा" इंगित कर लिफाफों पर निविदादाता व्यक्ति/फर्म/संस्था/समिति का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुये पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/दस्ती (By hand) से 'प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अरण्य विकास भवन, 73-नेहरू रोड, देहरादून-248001' को दिनांक 22.07.2023 के सांय 4.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए।
25. विज्ञापित निविदा प्राप्त करने की तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त किसी भी निविदा को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। डाक विभाग या अन्य किसी कारण से निविदा विलम्ब से प्राप्त होने के कारणों हेतु, उत्तराखण्ड वन विकास निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
26. प्रस्तावक व्यक्ति/फर्म/संस्था/समिति का सुसंगत एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन, बायलौज एवं पंजीकृत सौक्ष्यों की सत्यापित प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
27. निविदा प्रारूप के भाग-7 में संबंधित आवेदक GSTIN, ESI, EPF के सम्बन्ध में अपना Status लिखना सुनिश्चित करें।
28. संस्था के रूप के अनुसार जो सक्षम प्राधिकारी नियमों द्वारा प्राधिकृत है उसके द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्र Earnest Money का ढाई गुना होगा।
29. सफल निविदादाता द्वारा कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों आदि संयंत्रों /उपकरणों पर कार्य करने हेतु योजित बाह्य सेवा स्रोत से लिए जाने वाले श्रमिक/कार्मिक की अर्हता को पूर्ण करने के निर्धारण की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु समाज के दो सम्भ्रान्त व्यक्तियों अथवा राजपत्रित अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र अभिलेख अपेक्षित है।
30. धरोहर धनराशि/निविदा प्रतिपूर्ति धनराशि निविदा प्रस्ताव के साथ गंगा एवं सहायक नदियों हेतु रू0-25.00 लाख मात्र की एफ0डी0आर0/एस0टी0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट, जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत तथा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पदनाम तथा देहरादून में देय हो, को तकनीकी निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा। सफल निविदादाता को कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि रू0 75.00 लाख (वर्तमान में संचालित रवासन-प्रथम एवं द्वितीय व कोटावली 03 नदियों हेतु तथा गंगा भोगपुर, बिशनपुर, चिड़ियापुर, श्यामपुर नदियों में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा स्टे लगाया गया है। यदि भविष्य में स्टे हटाया जाता है, तो 07 नदियों हेतु कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि कुल रू0 1.50 करोड़ होगी) की एफ0डी0आर0/ एस0टी0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत तथा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पद नाम तथा देहरादून में देय हो, जमा करना होगा। धरोहर धनराशि को इसमें समायोजित किया जा सकता है।
31. निविदा प्रारूप के भाग-9 में निविदा-अनुबन्ध का आलेख उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आवेदित कार्य करने की सभी शर्तें एवं निर्बन्धन का स्पष्ट उल्लेख हैं। इच्छुक निविदादाता इस निविदा प्रपत्र के सभी आठ भागों का भली-भांति अध्ययन कर स्वयं के हित में निविदा प्रेषित करें, साथ ही निविदादाता निविदा देने से पूर्व खनन एवं कार्य स्थल का निरीक्षण कर सम्पादित किये जाने वाले कार्यों तथा शर्तों आदि के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही निविदा भरें। बाद में निविदादाता का कोई भी प्रत्यावेदन/संशोधन/ आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।
32. इस निविदा प्रपत्र के भाग-7 में निर्धारित प्रारूप में प्राप्त तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन किया जायेगा। जो निविदायें निर्धारित तकनीकी विशेषताओं के अनुरूप नहीं भरी गई हैं उनका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इस निविदा प्रारूप के भाग-8 में वित्तीय निविदा भरने के लिये सामान्य जानकारी एवं वित्तीय निविदा भरने का प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है। यदि वित्तीय निविदा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त नहीं होगी उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
33. समस्त तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें खोलने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, इस समिति में प्रभागीय प्रबन्धक, एक अन्य प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक तथा लेखा

- अधिकारी/लेखा से सम्बन्धित कार्मिक सदस्य होंगे। समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख प्राप्त निविदायें खोली जाएगी।
34. सफल निविदादाता को बाद में कांटेक्टर कहा जायेगा, जो कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम से अनुबंध करेगा।
 35. निविदा में उल्लिखित धर्मकांटों, सी.सी.टी.वी. कैमरों, इंटरनेट एवं वाहन नियन्त्रण हेतु आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्रों की संख्या एवं स्थान में क्षेत्रीय प्रबन्धक, गढ़वाल क्षेत्र, कोटद्वार के लिखित निर्देश पर आवश्यकतानुसार परिवर्तित (घटाया या बढ़ाया) किया जा सकता है। इस कार्य हेतु वन विकास निगम द्वारा अलग से कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं है।
 36. सफल निविदादाता को अपने उपकरणों की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। अनुबन्ध की अवधि में प्रत्येक वर्ष कार्य सीजन समाप्ति दिनांक 31 मई या उपखनिज निकासी लक्ष्य की प्राप्ति जो पहले हो, के उपरान्त सफल निविदादाता को अपने द्वारा स्थापित उपकरणों को अपने व्यय पर अपनी अभिरक्षा में रखना होगा तथा कार्य सीजन के प्रारम्भ से तिथि 01 अक्टूबर को गेटों पर स्थापित करते हुए गेट पर निकासी हेतु व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जानी होगी।
 37. किसी प्राकृतिक आपदा, चोरी एवं आग आदि से धर्मकांटों, सी0सी0टी0वी0 कैमरों, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 सम्बन्धित उपकरणों आदि की क्षति/खराब होने की दशा में निविदादाता द्वारा उसे 24 घंटे के भीतर कार्योपयोगी स्थिति में लाना होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार के मुआवजे, अनुग्रह राशि की देयता उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा देय नहीं होगी।
 38. संलग्न निविदा भाग-03, 04 05 व 06 में वर्णित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार होना आवश्यक है।
 39. अनुबन्ध की अवधि में, भारत सरकार, राज्य सरकार, वन विभाग, प्रशासन आदि के निर्देश / संवैधानिक प्रतिबन्ध के कारण यदि कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों के स्थान परिवर्तन की दशा में सफल निविदादाता को नये स्थान पर धर्मकांटे, आर0एफ0आई0डी0 व सीसीटीवी कैमरें, इंटरनेट संयंत्र / उपकरण अपने व्यय पर स्थापित करने होंगे।
 40. सफल निविदादाता को प्रत्येक सप्ताह (07 दिन) / पक्ष (15 दिन) का डाटा गेटवार पेन ड्राईव/हार्ड-ड्राईव में सूचना सुरक्षित कर, क्षेत्रीय प्रबन्धक (ग0क्षे0), कोटद्वार/सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक, खनन के कार्यालय में उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी। सफल निविदादाता को सम्पूर्ण डाटा निविदा की अवधि तक सुरक्षित रखना होगा तथा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा। सफल निविदादाता द्वारा समस्त डाटा गोपनीय रूप से सुरक्षित रखा जाएगा तथा किसी अन्य बाहरी (व्यक्ति/संस्था) के सम्मुख प्रकट नहीं किया जाएगा, जब तक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा इसकी अनुमति न दी जाए।
 41. किसी कार्यदिवस पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे अथवा आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र का संचालन बाधित होने की स्थिति में रू0-25,000/-प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया जायेगा।
 42. धर्मकांटों, सी.सी.टी.वी. कैमरों, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्रों का ढुलान, स्थापना, सुरक्षा, संचालन एवं रखरखाव सफल निविदादाता द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर करना होगा। इस हेतु वन विकास निगम द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा। धर्मकांटा, सी0सी0टी0वी0 कैमरों, इंटरनेट आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र तथा उसके सहवर्ती उपकरण सामग्री उच्च कोटि की तथा नई / लेटेस्ट तकनीकी के होने आवश्यक है,इसके स्थापना के समय इसका सत्यापन क्षेत्रीय प्रबन्धक (ग0क्षे0) /सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक, खनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम अथवा उनके द्वारा गठित समिति द्वारा गेटों पर किया जायेगा।
 43. शर्तों के उल्लंघन की दशा में उपरोक्तानुसार बिन्दु "32" में अंकित प्रतिभूति धनराशि जब्त कर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
 44. जिला खनन समिति द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरों, विडियों क्लिपिंग की मांग किये जाने पर वन विकास निगम से अनुमति प्राप्त होने पर इसे निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी जानी होगी।
 45. सफल निविदादाता को उक्त कार्य के **Rights or Liabilities** किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

46. वर्णित समस्त शर्तें, प्रपत्र/अभिलेख आदि के एकरूपता/समान होने पर लॉटरी सिस्टम से चयन किया जायेगा।
47. सफल निविदादाता को प्रत्येक वर्ष कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व धर्मकांटो, सीसीटीवी कैमरों, इंटरनेट तथा आर0एफ0आई0डी0 संयंत्र का उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम विभाग से प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है।
48. सफल निविदादाता को लगाये जाने वाले धर्मकांटों, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट तथा आर0एफ0आई0डी0 संयंत्र के मॉडल की तकनीकी विशिष्टता का परीक्षण के उपरान्त, क्षेत्रीय प्रबन्धक के स्तर से तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड में दिये गये मानको एवं दरों से सन्तुष्ट होने के उपरान्त सम्बन्धित क्षेत्रीय महाप्रबन्धक के स्तर से दरें स्वीकृत होने पर धर्मकांटों, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयंत्र की स्थापना की अनुमति दी जायेगी जिसके लिए सफल निविदादाता के साथ **क्षेत्र 0 (ग0क्षे0) अनुबन्ध करेगें जिसका अनुमोदन सम्बन्धित महाप्रबन्धक करेगें।**
49. सफल निविदादाता, कार्यादेश जारी होने के उपरान्त, धर्मकांटो, सीसीटीवी कैमरों, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयंत्र के स्थापना सम्बन्धी कार्य 30 दिन के अन्दर, पूर्ण करते हुए सूचना क्षेत्रीय प्रबन्धक (ग0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कोटद्वार को देगा ताकि केएमएस साफ्टवेयर. इन्स्टालेशन की कार्यवाही हेतु आवश्यक तैयारी समय से की जा सके।
50. धर्मकांटों का रखरखाव व तौल, सीसीटीवी कैमरों, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयंत्र का रखरखाव एवं संचालन उत्तराखण्ड सरकार के लागू नियमों के अनुसार कराया जाना होगा। अन्यथा की स्थिति में यदि कोई जुर्माना या दण्ड आरोपित किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित निविदादाता का होगा।
51. आमन्त्रित की गयी निविदा के निष्पादन हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अधिकतम तौलाई दर, उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना, दिनांक 20.01.2023 के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
52. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून न्यूनतम दरों वाली या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताते हुए अस्वीकार अथवा निरस्त करने के लिए पूर्ण रूप से प्राधिकृत है।
53. निविदा अनुमोदित करने का अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रीय महाप्रबन्धक को होगा।
54. सफल निविदादाता को कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे, सीसीटीवी कैमरों, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयंत्र की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव हेतु कार्यादेश उत्तराखण्ड वन विकास निगम को औपचारिक अनुमति एवं कार्य आवंटन प्राप्त होने पर, ही दिया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में उत्तराखण्ड वन विकास निगम की कोई देयता/बाध्यता नहीं होगी।
55. यह कि यदि उप खनिज संग्रहण की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत कोई वैधानिक आदेश (राज्य सरकार, वन विभाग/माननीय न्यायालय) द्वारा उप खनिज कार्य न किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है एवं अन्य किसी के विधिक आदेश के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत तौलकांटों में तौल कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता है, तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष को उक्त अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार होगा तथा प्रथम पक्ष द्वारा जमा कराई गई कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार के मुआवजे, अनुग्रह राशि आदि पाने का अधिकारी नहीं होगा और न ही किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति की मांग करेगा। उसे अपने व्यय पर कार्य स्थल से अपना तौलकांटा, औजार व अन्य सामग्री 15 दिन की अवधि में हटानी होगी, अन्यथा द्वितीय पक्ष अथवा वन विभाग द्वारा उक्त सामग्री को जब्त किया जा सकेगा।
56. किसी विवाद की दशा में अपर प्रबन्ध निदेशक / महाप्रबन्धक (उत्पादन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून आर्बीट्रेटर (मध्यस्थ) होंगे, जिनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य एवं बाध्यकारी होगा। असंतुष्टि की स्थिति में दोनों ही पक्ष, उच्च न्यायालय, हरिद्वार में अपील करने हेतु स्वतंत्र होंगे।
57. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विधिक कार्य क्षेत्र (Legal Jurisdiction) हरिद्वार जनपद का होगा।

58. खनन गेटों पर विद्युत कनेक्शन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा लिया गया है। उपखनिज सत्र खनन कार्य के दौरान इंटरनेट, कम्प्यूटर कांटा, आर0एफ0आई0डी0, सी0सी0टी0वी0 आदि उपकरणों पर उपभोग की जाने वाली विद्युत बिल का भुगतान सफल निविदादाता को करना होगा।
59. सफल निविदादाता को निविदा/स्वीकृत दरों पर जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
60. सफल निविदादाता को मासिक अथवा त्रैमासिक (नियमानुसार) जी0एस0टी0 भुगतान कर उसकी सूचना प्रमाण सहित उत्तराखण्ड वन विकास निगम को यथाशीघ्र उपलब्ध करानी होगी।
61. भारत सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय आदि द्वारा कोई अन्य कर अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी देयता सफल निविदादाता की होगी।
62. सफल निविदादाता को धर्मकांटा, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, आर0एफ0आई0डी0, इंटरनेट, सी0सी0टी0वी0 उपकरणों के रख-रखाव सविर्सिंग एवं मरम्मत हेतु गेटों पर तकनीकी विशेषज्ञ (इंजीनियर आदि) की तैनाती करनी पड़ेगी।
63. विद्युत आपूर्ति बन्द होने पर कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु मानक आधारित उच्च क्षमता का जेनरेटर तैयारी की अवस्था में रखना पड़ेगा ताकि उपखनिज चुगान एवं निकासी कार्य बाधित न हो पाये।
64. सफल निविदादाता को, इंटरनेट, कम्प्यूटर कांटा, आर0एफ0आई0डी0, सी0सी0टी0वी0 आदि पर योजित किये गये श्रमिक / कार्मिकों का विवरण जैसे, पहचान पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र प्रभागीय कार्यालय में जमा करना होगा।
65. सफल निविदादाता, ऐसे कार्मिक / श्रमिक योजित करेगा, जिनका पूर्व का कोई अपराधी रिकार्ड न हो।
66. सफल निविदादाता कार्मिक / श्रमिक को भुगतान राज्य/श्रम विभाग के मानकों के अनुरूप करेगा। गेटों पर तैनात श्रमिक / कार्मिकों की अनुपस्थिति अथवा अवकाश की स्थिति में उपखनिज निकासी कार्य में व्यवधान न हो, इस हेतु सफल निविदादाता को प्रतिस्थानी कार्मिक भी योजित करना होगा तथा ई0पी0एफ0ओ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार श्रमिकों का ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 में पंजीकरण करना होगा।
67. इंटरनेट, कम्प्यूटर कांटा, आर0एफ0आई0डी0, सी0सी0टी0वी0 आदि से सम्बन्धित उपकरणों (अथवा किसी एक उपकरण) में खराबी आने के कारण सफल निविदादाता को तुरन्त उस खराबी को दूर कराना होगा एवं उपखनिज निकासी कार्य एक घंटे से अधिक बाधित होने पर रू0 25,000/- प्रति दिन की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा। उपकरणों की खराबी के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न न हो इसलिए सफल निविदादाता को कम्प्यूटर, सी0सी0टी0वी0 आदि सहवर्ती उपकरणों के एक-एक अतिरिक्त सेट तैयारी की स्थिति में रखने होंगे।
68. कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे, सी0सी0टी0वी0 कैमरों, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव हेतु निविदा अवधि 03 वर्ष (खनन सत्र 2023-24 से 2026-27 तक) हेतु निर्धारित है। प्रथम पक्ष द्वारा स्थापित किये गये कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे, सी0सी0टी0वी0 कैमरों, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्रों का संचालन एवं रखरखाव आदि संतोषजनक पाये जाने पर सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक / क्षेत्रीय प्रबन्धक की संस्तुति के आधार पर दोनों पक्षों की सहमति से प्रबन्ध निदेशक द्वारा 02 वर्षों तक उक्त अवधि बढ़ायी जा सकती है।
69. उपरोक्त शर्त सं0-70 पर तब ही विचार किया जा सकेगा, जब प्रथम पक्ष के द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक हो तथा उसके द्वारा उपखनिज निकासी कार्यों के दौरान किसी प्रकार का विवाद अथवा व्यवधान उत्पन्न न किया गया हो एवं उसकी किसी वन अपराध में संलिप्ता न हो साथ ही साथ उत्तराखण्ड वन विकास निगम की कोई देयता (Dues) न हो।

भाग-2-खनन लौट में उप खनिज चुगान की प्रक्रिया

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

1. उपखनिज चुगान का कार्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाता है।
2. उत्तराखण्ड वन विकास निगम में निर्धारित खनन क्षेत्रों हेतु सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक, खनन का कार्यालय निर्धारित है।
3. प्रभागीय प्रबन्धक, खनन प्रभाग के सभी कार्यों का नियंत्रण/निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय द्वारा किया जाता है।
4. खनन क्षेत्र का सीमांकन खनन विभाग, राज्य विभाग एवं वन विभाग के प्रतिनिधियों के परामर्श से किया जाता है। सामान्य भाषा में खनन क्षेत्र को "लौट" कहा जाता है।
5. उत्तराखण्ड वन विकास निगम को सरकार द्वारा निर्धारित इस शर्त का पालन करना अनिवार्य है कि लौट में उपखनिज चुगान का कार्य सूर्योदय व सूर्यास्त के मध्य किया जायेगा।
6. सूर्यास्त के बाद लौट के अन्दर रहने वाले वाहन की रिपोर्ट प्रत्येक कार्यदिवस के अन्त पर प्रभागीय वनाधिकारी/वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय को सूचित की जाती है। आरक्षित वन क्षेत्र के अन्दर सूर्यास्त के बाद किसी भी वाहन को लौट के अन्दर रुकने की स्वीकृति केवल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी जा सकती है। भारतीय वन अधिनियम के अर्न्तगत प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन स्वामी/चालक पर यथावश्यक कार्यवाही की जाती है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम भी उक्त वाहनों के विरुद्ध यथावश्यक निषेधात्मक कार्यवाही करता है।
7. श्रमिकों द्वारा उपखनिज को नदी तल से हाथ (Manual) से वाहन में भरा जाता है। इस प्रक्रिया को "चुगान" कहते हैं।
8. श्रमिक स्वेच्छा से लौट में उपखनिज चुगान कर अपना जीवन यापन करता है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा चुगान करने वाले श्रमिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु कई कार्यक्रम चलाये जाते हैं।
9. लौटों में वाहनों के प्रवेश एवं निकासी हेतु गेट स्थापित है। गेटों का नियंत्रण प्रभागीय प्रबन्धक, खनन एवं प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाता है। इन गेटों पर वाहनों के प्रवेश एवं निकासी के जरूरी कागजात बनाये जाने हेतु अस्थायी कार्यालय की व्यवस्था है।
10. गेटों पर कम्प्यूटरीकृत तौल कांटे स्थापित किये जाते हैं। इन तौल कांटे की आपूर्ति, संचालन, एवं रखरखाव निविदा के माध्यम से बाह्य स्रोत द्वारा किया जाता है। (जिसका विस्तृत विवरण पृथक् से उपलब्ध है)। खनन अवधि में लौट एवं धर्मकांटे पर नियंत्रण सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक, खनन उ० वन विकास निगम का रहता है।
11. गेट पर स्थापित धर्मकांटा कार्यालय में एक समय पर वन विकास निगम एवं वन विभाग के कर्मचारी तथा कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटा संचालक के कर्मचारी तैनात रहेंगे। यह कार्यालय अस्थायी भवन रूप का होगा। निर्मित कमरे में 03 कम्प्यूटर, प्रिंटर ऑनलाइन पावर सप्लाय, यू०पी०एस०, स्टोर अल्मारी एवं स्टेनरी आदि रखने की सुसज्जित व्यवस्था करनी होगी।
12. उपखनिज चुगान हेतु लौटों की स्वीकृति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निश्चित मात्रा हेतु प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा एक घनमीटर उपखनिज 22 कुन्तल के बराबर माना जाता है। खनन से सम्बन्धित सभी प्रकार का डाटा रिकार्ड हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा विकसित खनन मैनेजमेन्ट सिस्टम (के०एम०एस०) द्वारा संकलित किया जाता है।
13. खनन मैनेजमेन्ट सिस्टम (के०एम०एस०) के रखरखाव हेतु प्रत्येक वाहन को Unique Identification Number दिया जाता है। जो कि खनन मैनेजमेन्ट सिस्टम (के०एम०एस०) के अर्न्तगत उसका पंजीकरण संख्या भी कहलाता है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी (आर०टी०ओ०) द्वारा पंजीकृत वाहन को खनन मैनेजमेन्ट सिस्टम (के०एम०एस०) में अलग से दर्शाया गया है।
14. उपखनिज चुगान कार्यों में संचालित होने वाले प्रत्येक वाहन का चुगान-पंजीकरण (Registration) एवं नवीनीकरण (Renewal) सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक, खनन उ० वन विकास निगम, के कार्यालय में निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुरूप किया जाता है।
15. वाहन को गेट पर प्रवेश करते समय आगमन-पर्ची (Entry Slip) प्रदान की जाती है। इसे प्राप्त करने हेतु वाहन को कम्प्यूटराईज तौल कांटे के ऊपर से 03 कि०मी० प्रतिघंटों की गति से गुजरना होता है। इस पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जायेगी।
16. खनिज के भार का प्रदर्शन निम्न तीन स्थानों पर एल०ई०डी० के माध्यम से दर्शित किया जायेगा।

- 1- कम्प्यूटर संचालक के समक्ष।
- 2- गेट कार्यालय के अन्दरूनी दीवार पर स्टाफ हेतु 9" (एल0ई0डी0) प्रदर्शन पट पर।
- 3- कार्यालय के बाहरी दीवार पर ट्रक चालक एवं आम जनता हेतु 9" (एल0ई0डी0) प्रदर्शन पट।
17. आगमन पर्ची (Entry Slip) खनन मैनेजमेन्ट सिस्टम (के0एम0एस0) द्वारा प्रिन्ट की जाती है। आगमन पर्ची (Entry Slip) अग्रिम धनराशि की प्राप्ति रसीद भी है।
18. आगमन पर्ची (Entry Slip) में कई सूचनायें होती हैं, जिसमें से मुख्य है:-
 - 1- वाहन की पंजीकरण संख्या।
 - 2- प्रवेश का दिनांक एवं समय।
 - 3- प्रवेश के समय वाहन का भार।
 - 4- प्रवेश के समय गेट पर अग्रिम जमा/आर0टी0जी0एस0 द्वारा अग्रिम धनराशि।
19. वाहन को गेट से बाहर जाते समय खनन मैनेजमेन्ट सिस्टम (KMS) द्वारा तैयार निर्गमन-पर्ची (Exit Slip) दी जाती है। इस हेतु वाहन को पुनः कम्प्यूटरीकृत तौल कांटे से गुजरना पड़ता है। सही माप के लिये वाहन की गति 03 कि0मी0 प्रतिघण्टे से कम होनी चाहिये। इस पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकोर्डिंग भी की जायेगी।
20. निर्गमन पर्ची (Exit Slip) में कई सूचनायें हैं, जिसमें से प्रमुखतः निम्न है:-
 - 1- वाहन का कुल भार।
 - 2 उपखनिज का आंकलित भार।
 - 3-आगमन पर्ची (Entry Slip) में दर्शित अग्रिम जमा/आर0टी0जी0एस0 द्वारा अग्रिम प्राप्त धनराशि के समायोजन के उपरान्त शेष देय धनराशि एवं धन प्राप्ति की रसीद।
21. गेट से वाहन की निकासी के समय उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वाहन चालक को ई-रवन्ना (ई-MM-11) भी ऑन लाईन जारी किया जाता है। एक वाहन हेतु केवल एक ही ई-रवन्ना (ई-MM-11) मान्य है।
22. प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय स्टाफ द्वारा वनोपज अभिवहन शुल्क/मार्ग सुधारण शुल्क प्राप्त कर रसीद जारी की जाती है।
23. गेट पर प्रवेश करते समय अग्रिम धनराशि की देयता निम्नलिखित तथ्य एवं अनुभव पर आधारित है-
 - गेटों में एकत्रित धनराशि को बैंक में अपराहन 3:00 बजे से पूर्व जमा करने की अनिवार्यता।
 - उपखनिज चुगान से बड़े वाहन (ट्रक) को (वाहन की R.C. में अंकित भार क्षमता के अनुसार) भरने में अधिकतम 04 घंटे का समय लगता है तथा छोटे वाहन (टिप्पर, ट्रैक्टर, ट्रॉली) को भरने में अधिकतम 01 घंटे का समय लगता है।
 - वास्तविक भार ले जाने की क्षमता पहचान कर अनुमानित उपखनिज की मात्रा एवं राजस्व का आंकलन के आधार पर अग्रिम धनराशि निर्धारित की जाती है।
 - अधिकतर भुगतान अग्रिम आर0टी0जी0एस0 के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है।
 - गेट से नदी में प्रवेश करते समय इलैक्ट्रॉनिक के0एम0एस0 द्वारा निर्गत Entry Slip वाहन के चालक को दिया जाता है तथा नदी से बाहर आते समय के0एम0एस0 द्वारा निर्गत Exit Slip निकाल कर 01 प्रति वाहन चालक को अग्रिम प्राप्त धनराशि समायोजन उपरान्त उपलब्ध कराया जाता है।
24. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के KMS Software में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लौट में प्रवेश कर रहे वाहनों से उपखनिज हेतु अग्रिम धनराशि के लिये वाहनों की विभिन्न प्रकार के सापेक्ष भार ले जाने की अग्रिम धनराशि की मात्रा क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अधिसूचित की जायेगी।
25. किसी प्रकार की शिकायत/असुविधा हेतु प्रत्येक गेट में एक शिकायत-पेटी उपलब्ध रहेगी।
26. कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे की स्थापना के समय इसकी विशिष्टियों का सत्यापन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्राधिकृत विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

धर्मकांटों हेतु तकनीकी विशिष्टताएं (Technical Specifications)

- तकनीकी विशिष्टताओं के सभी निविदादाताओं को समस्त अभिलेख प्रेषित करने हैं, उक्त सूची इस निविदा प्रपत्र में है।
- तकनीकी विशिष्टता के द्वितीय भाग में कम्प्यूटरीकृत तौल कांटे में प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों एवं संयंत्रों के मानको की विशिष्टियां निर्धारित हैं—
 1. गंगा एवं सहायक नदियों के प्रत्येक गेट पर निवदा सूचना में अंकित विवरण अनुसार धर्मकांटे स्थापित करने होंगे।
 2. धर्मकांटे के संचालन हेतु जिन गेटों पर विद्युत आपूर्ति नहीं है उन गेटों पर निविदादाता द्वारा जनरेटर से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी एवं बैकअप हेतु एक अतिरिक्त जनरेटर एवं ऑन लाईन यू0पी0एस0 रखना होगा। जिन गेटों पर विद्युत कनेक्शन लिया जा सकता हो वहां निविदादाता द्वारा विद्युत कनेक्शन स्वयं के खर्चे पर लगाना होगा।
 3. धर्मकांटा में लोहे और उससे सम्बन्धित मानक निम्नलिखित विशिष्टियों के होंगे।
 - 3.1. धर्मकांटे की सामान्य विशिष्टियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक IS:1436 के अनुसार होनी आवश्यक है।
 - 3.2. धर्मकांटे की सामान्य विशिष्टियां तथा स्ट्रक्चर मय नक्शे की प्रति के साथ संलग्न करना अनिवार्य है तथा इनके सहवर्ती उपकरण(लोड सैल, इंडीकेटर व जक्शन बॉक्स) निम्नलिखित में से किसी एक कम्पनी के होने चाहिये।
 - क—मैटलर टोलेडो (METTLER TOLEDO)
 - ख— मिनेबिया/सरटोरियस (MINEBEA/SATORIOUS)
 - ग—ऐसेट्रोका(ESSAE TERAOKA)
- 3.3. तौल कांटा पर भारी वाहन को खड़ा करके वजन लिये जाने हेतु तथा भारी वाहन का चलते-चलते वजन लिये जाने हेतु निर्मित किया हुआ हो। गतिमान वाहन का मापन 10 किमी0 प्रति घंटा की गति पर आधारित होना चाहिये। एक घंटे में 60 ट्रक की दर से निरन्तर 03 वर्षों तक तौलने की क्षमता होनी चाहिए।
- 3.4. धर्मकांटा की न्यूनतम लम्बाई 7.7 मीटर तथा न्यूनतम चौड़ाई 3.0 मीटर गड्ढा सहित (Pit type) होने चाहिये तथा धर्मकांटे के दोनों ओर 10-10 मीटर लम्बा व 03 मी0 चौड़ा व 20 सेमी0 मोटा सी0सी0 फर्श होना चाहिए।
- 3.5. दोनों ओर जहां से वाहन तौल कांटे से ऊपर चढ़ने-उतरने हेतु Ramp बनाया जाये, जिसका ढलाव अनुपात 1:15 रखा जाये, तांकि वाहनों के त्वरित आवागमन में सुविधा हो सके।
- 3.6. तौल कांटे के मुख्य स्तम्भ (Ginder) तथा अन्य स्तम्भ नींव से बहुत अच्छी तरह सुरक्षित ढंग से फिक्स होने चाहिए।
- 3.7. धर्मकांटा के मुख्य स्तम्भ/गर्डर तथा अन्य स्तम्भ नींव से बहुत अच्छी तरह सुरक्षित होने चाहिये, तांकि तौल कांटा किसी भी तरह हिलना डुलना नहीं चाहिये।
- 3.8. तौल कांटा के प्लेटफार्म के समानान्तर एक पक्की दीवार अथवा स्टील गर्डर निर्मित की जायेगी, तांकि यह सुनिश्चित हो सके कि वाहन के समस्त पहिये तौल कांटे के प्लेटफार्म पर सुरक्षित रूप से व्यवस्थित हो जांये और पहिये का आंशिक भाग अथवा पूर्ण भाग तौल कांटे के प्लेटफार्म से बाहर न रह जाये।
- 4. धर्मकांटों की भार मापन क्षमता की विशिष्टियां—
 - 4.1. धर्मकांटे की भार-क्षमता 100 टन तक होनी अनिवार्य है।
- 5. भार मापन के इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों हेतु मानक—
 - 5.1. लौड सैल कम्प्रेशन टाइप (Compression Type) अथवा डबल-एण्डेड शीयर बीम टाइप (Double Ended Shear Beam Type) होना चाहिये।
 - 5.2. Load Cell के अनिवार्य मानक—

1. OIML approval: R60/1991 (International Organisation of Legal Metrology) का सर्टिफिकेट निविदा के साथ होना अनिवार्य है।
2. Accuracy Class : 3 (0.0230%)
3. Rated output : 2mv/v
4. Protection Class : IP-68 (International Protection Marking)
5. Material Class : Aluminium/Stainless Steel
6. Normal load: 15,870Kg/22,700kg/34,000 kg
6. Original Equipment Manufacturer (OEM) द्वारा प्रस्तावित Mounting के अनुसार तौल कांटे के लौहे के Girder पर Load Cell स्थापित की जायेगी।
7. Load Cell से Junction Box केबल (Cable) OEM द्वारा प्राविधानिक होनी चाहिये।
8. Junction Box-Stainless steel. with IP 66 protection class का होना चाहिये।
9. तौल कांटे का कैलीब्रेशन ऑटोमैटिक शून्य होना चाहिए तथा समय-समय कैलीब्रेशन की जांच एवं संशोधन का प्राविधान होना चाहिए।
10. Digital Weight Indicator- भार मापन टर्मिनल माइक्रो-प्रोसेसर आधारित होगा, जो शून्य डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान में कार्य करने योग्य होगा। माइक्रो प्रोसेसर का आउटपुट कम्प्यूटर में फीड करने हेतु RS232C serial communication port उपलब्ध कराया जाना है। Indicator के लिये Voltage surge suppressor circuit भी होना चाहिये तथा निम्न विशिष्टताओं का Digital Weight Indicator में होना आवश्यक है:-
 - 1- Software calibration
 - 2- Optional interface analog output 0/4-20ms,0-10V.D.C
 - 3- High speed conversion with response time 5ms(Microsecond)
 - 4- Accuracy 600 D(ace to OMILR 76 Class 3)
11. Digital Weight Indicator से 3 (तीन) अलग-अलग पैनल पर डिस्पले (Display) करने के प्राविधान होने चाहिये। मूल Indicator कम्प्यूटर ऑपरेटर के समक्ष होगा तथा दो अन्य बड़े साइज के Display 9" (LED) के स्थापित होंगे।
12. UPS-2/4/6 KVA Online UPS with battery supplied/ rcommended by APC. Eato... For 2 hour backup.
13. Generator- of 5 KVA or more depending on number of weigh bridges in a Gate.
14. Electric Fixtures in gate office—Ceiling Fans – 2 Number. Tubelight, Bulb.
15. Computer to be used as server- O.E.M. makes either of should be of commercial series and not of home series with minimum of Core i5 processor. 8 GB RAM. 500 GB SSD, 15 inch screen, windows operating system. At least 3 USB ports and should be capable to record digital video output of CCTV camera.
16. Computer to be used as client should have with minimum of Core i3 processor. 8 GB RAM. 256 GB SSD, 19 inch screen windows 10 OS and above with Internet browser-Internet Explorer and connectivity to printer. At least 3 USB ports, 2 Ethernet Port, 1 Serial Port and should be capable to record digital video output of CCTV camera.
17. Printer: Hi-Speed Lazer Jet USB Printer.
18. Constant voltaez Transformer/ Stablizer :- ये मान्यता प्राप्त 5/6 KVA इनपुट रेंज के 160 वोल्ट से 270 वोल्ट तक के होंगे। इनकी आउटपुट रेंज 220 वोल्ट =1 प्रतिशत होगी जो ऑन लाईन UPS से जुड़ी होगी।

भाग- 4

C.C.T.V. कैमरों हेतु तकनीकी विशिष्टताओं का विवरण

1. सी0सी0टी0वी0 कैमरे ब्रान्डेड कम्पनी के व उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए।
2. सी0सी0टी0वी0 कैमरा इस प्रकार स्थापित किया जायेगा जिससे कि होनी वाली वीडियो रिकार्डिंग में वाहन संख्या, रजिस्ट्रेशन आदि स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो।
3. उपरोक्तानुसार की जा रही वीडियो रिकार्डिंग कम से कम एक खनन सत्र (12 माह) तक सुरक्षित रहनी चाहिए।
4. सी0सी0टी0वी0 कैमरे की बैक-अप व्यवस्था अर्थात हर समय कम से कम एक से अधिक कैमरों, बैकअप की उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जिससे कि यदि कोई सी0सी0टी0वी0 कैमरा किन्ही कारणों से कार्य करना बन्द कर दे तो बैक-अप व्यवस्था के माध्यम से इसको तत्काल संचालित किया जा सके।
5. सी0सी0टी0वी0 कैमरे की न्यूनतम एक वर्ष की वारन्टी होना आवश्यक है।
6. प्रत्येक गेट पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जाये जिससे कि वाहन के आगे, पीछे एवं मध्य की सभी गतिविधियों (वाहन चालक का फोटो सहित) की रिकार्डिंग हो सके।

नोट- उपरोक्तानुसार ब्रान्डेड एवं गुणवत्ता युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित करने सम्बन्धी शर्तों को मेरे द्वारा नोट कर लिया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम -

पता -

भाग -5

गंगा एवं सहायक नदियों के विभिन्न खनन गेटों पर आर0एफ0आई0डी0 (Radio Frequency Identification Device) की आपूर्ति, स्थापना, सुरक्षा, संचालन एवं रखरखाव से सम्बन्धित स्थापित की जाने वाली सामग्री की तकनीकी विषिष्टताओं का विवरण

S.No.	Description
1	Auto I.D Based system
2	I.S.O Standard
3	Non line of sight communication
4	Quick and Robust
5	Easy to Use
6	Exceptional Performance of RFID Tags
7	Automated entry for check - in and check - out
8	Real time Data for Vechile entry/exit
9	Verfication and Validation fo truck

नोट :- उक्त आर0एफ0आई0डी0 डिवाइस का इंटीग्रेशन के0एम0एस0 सॉफ्टवेयर में होना आवश्यक है। यदि डिवाइस का इंटीग्रेशन के0एम0एस0 सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो उसके इंटीग्रेशन पर होने वाला व्यय, सफल निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा।

स्थापित की जाने वाली सामग्रियों की विशिष्टताओं को मेरे द्वारा नोट कर लिया गया।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम -

पता -

भाग- 6

इंटरनेट हेतु तकनीकी विशिष्टताओं का विवरण

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अन्तर्गत गौला नदी के विभिन्न खनन गेटों पर हाई स्पीड इंटरनेट, कनेक्शन संयोजन एवं ई-रवन्ना प्रपत्र निकालने हेतु कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू0पी0एस0 आदि की आपूर्ति, स्थापना, सुरक्षा, संचालन एवं रखरखाव एवं ऑनलाईन करने से सम्बन्धित स्थापित की जाने वाली सामग्री की तकनीकी विशिष्टताओं का विवरण:-

S.No.	Description	
1	Very high speed internet connection	10 MBPS and above
2	ई-रवन्ना जारी करने हेतु कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0	कम्प्यूटर 15, 08 जी0बी0 रैम 512जी0बी0 SSD सहित एवं लेजर जेट यू0एस0बी0 प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 बैकअप सहित।
3	स्टेशनरी (प्रत्येक खनन गेट हेतु आवश्यकतानुसार)	ए-4 साईज पेपर (प्रत्येक खनन गेट हेतु आवश्यकतानुसार)

नोट:- उक्त क्र0सं0 01 से 03 तक सभी तकनीकी विशिष्टताओं का मानक/प्रकार का ब्रोसर सलगन करना अनिवार्य है।

सफल निविदादाता द्वारा गेटों पर स्थित सर्वर को पब्लिक आई0पी0 भी उपलब्ध कराना होगा, जिससे सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक एवं मुख्यालय स्तर से सर्वर का Access लिया जा सके।

स्थापित की जाने वाली सामग्रियों की विशिष्टताओं को मेरे द्वारा नोट कर लिया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम -

पता -

भाग :-7

कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों, सीसीटीवी कैमरों, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 (Radio Frequency Identification Device) संयन्त्र की स्थापना, रखरखाव व संचालन हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र **TECHHNICAL BID**

(To be printed in Letter Head of Bidder)

तैकनीकल बिड में निविदादाता का नाम एवं पत्राचार हेतु पता, ई-मेल, मोबाइल निविदा दाता के Letter Head पर स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है।

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक (ग0क्षे0)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
कोटद्वार।

कार्य का विवरण-

गंगा एवं सहायक नदियों में कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र की स्थापना, संचालन व रखरखाव हेतु "तकनीकी निविदा"

महोदय,

तकनीकी निविदा के प्रथम भाग में निर्धारित सूचना एवं प्रमाणित प्रतियां निम्नवत प्रस्तुत हैं-

प्रथम भाग- मूलभूत सूचना (Part -1, Basic Information)

क्र0सं0	विवरण	भरी जाने वाली सूचना		संलग्न संख्या
1	GST का प्रमाण पत्र।			
2	PAN का प्रमाण पत्र।			
3	ESI पंजीकरण का प्रमाण पत्र।			
4	EPF पंजीकरण का प्रमाण पत्र।			
5	EPFO पंजीकरण का प्रमाण पत्र।			
6	Society Act etc.पंजीकरण का प्रमाण पत्र।			
7	उद्योग विभाग, राज्य सरकार में पंजीकरण का प्रमाण पत्र।			
8	विगत 03 वर्षों (2020-21 से 2022-23 तक) का Certified audited Balance Sheet, Turn Over Certificate by CA .			
9	धरोहर धनराशि/ई0एम0डी0 का एफ0डी0आर0/एस0टी0डी0आर जो राष्ट्रीयकृत बैंक का हो ।			
10	हैसीयत प्रमाण पत्र ।			
11	निविदा पत्र में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति यदि अधिकृत किया गया है का नाम। Power of Attorney की प्रमाणित प्रति संलग्न।			
12	वचनबद्धता (Letter of Undertaking)			
13	निविदा दाता के नाम इलैक्ट्रॉनिक कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटा के सफल संचालन/रखरखाव का 03 वर्षों का अनुभव का प्रमाण पत्र।	स्थान	कार्य का विवरण	उपरोक्त कार्य
		1.		सफलतापूर्वक पूर्ण करने के साक्ष्य के समर्थन में अभिलेख
		2.		
14	बांट माप तौल विभाग के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की सत्यापित प्रतिलिपि।			
15	निविदा दाता के पास धर्मकांटा मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के लाईसेंस की सत्यापित प्रति।			

16	धर्मकांटे का मॉडल Director Legal Metrology Government of India या उत्तराखण्ड सरकार के सम्बन्धित विभाग से Approved होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ।				
17	सरकारी संगठन या स्वायत्त/जाँच निकाय द्वारा ब्लैक लिस्ट न होने का आशय पत्र ।				
18	Reference-1	नाम पता, मोबाईल			
19	Reference-2	नाम पता, मोबाईल			

द्वितीय भाग – धर्मकांटे के प्लेटफार्म, भार मापन उपकरण, कम्प्यूटर एवं अन्य तकनीकी संयंत्रों की विशिष्टियां जो निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी का विवरण—

(Part -2, Description of Specifications of components of Computerised Weigh-bridge which will be supplied by Bidder)

तकनीकी निविदा के द्वितीय भाग में निर्धारित सूचना एवं प्रमाणित प्रतियां निम्नवत प्रस्तुत हैं—

Item का विवरण तथा आलेख के समर्थन में प्रस्तुत संलग्नकों की क्रमांक संख्या भी उल्लिखित करें	
1	7.7. m लम्बे and 3 m चौड़े, Pitless धर्मकांटे का निर्माण करने वाली कम्पनी का नाम, मॉडल का नाम तथा उपयोग किये जाने वाले लोहे की विशिष्टियां तथा जमीन पर grout करने से सम्बन्धित विवरण का आलेख उपलब्ध करायें तथा किये गये कथन के समर्थन में उपलब्ध कराये जा रहे संलग्नकों की क्रमांक संख्या भी उल्लिखित करें।
2	Electronic Pitless धर्मकांटे की भार मापन क्षमता तथा भार मापन क्षमता से कितने प्रतिशत अधिक वजन का सही माप लिया जा सकता है, के विषय में आलेख उपलब्ध करायें। किये गये कथन के समर्थन में उपलब्ध कराये जा रहे संलग्नकों की क्रमांक संख्या भी लिखें।
3	निम्नलिखित विशिष्टी वाले Load-cell type, Load cells, जो उपलब्ध कराये, जायेंगे के विषय में Load cells मॉडल का नाम उपलब्ध करायें तथा Load cells के साथ कम्पनी का आलेख उपलब्ध करायें तथा किये गये कथन के समर्थन में नोटरी से प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराये जा रहे संलग्नकों की क्रमांक संख्या भी उल्लिखित करें। 1) OIML approval: R60/1991-DK-99.01 2) Accuracy Class : III L 10000 / C3 3) Rated output : 2mV/V 4) Protection class : IP-68 5) Material class : Stainless Steel 6) Nominal Load: 15,000 kg /22,000 kg/ 34,000 kg
4	Load cells के साथ कराई integral cables and mounting for load cell का विवरण भी उपलब्ध करायें तथा समर्थन में उपलब्ध कराये जा रहे संलग्नकों की क्रमांक संख्या भी उल्लिखित करें।
5	Load cells से Junction Box तक लगने वाली केबल की विशिष्टि का विवरण भी उपलब्ध करायें।
6	Junction Box की विशिष्टि का विवरण भी उपलब्ध करायें।
7	Junction box से Display indicator in the weigh-cabin तक लगने वाली

	केबल की विशिष्टि का विवरण भी उपलब्ध करायें
8	Digital Weight Indicator जिसमें कम्प्यूटर से सम्पर्क स्थापित करने हेतु RS232C serial communication port उपलब्ध है और जिसमें voltage surge suppressor भी लगा है, का विवरण उपलब्ध करायें
9	Digital Weight Indicator का display panel का विवरण भी उपलब्ध करायें। Digital weight indicator से दो अन्य बड़े साइज के Display लगाने हेतु Digital weight indicator में उपलब्ध connector के प्रकार एवं संख्या का विवरण प्रस्तुत करें। दो अन्य बड़े साइज के Display 9”(Inch) LED के होने चाहिये। एक 9”(Inch) LED Display गेट के कार्यालय के अन्दर दीवार पर लगाया जायेगा जिसे कार्यालय के सभी कार्मिक आसानी से देख सकें। दूसरा 9”(Inch) LED Display गेट के कार्यालय के बाहर दीवार पर लगाया जायेगा जिसे माप की जाने वाले वाहन के चालक देख सकें। इस विषयक विवरण भी उपलब्ध करायें
10	4KVA Online UPS with battery supplied/ recommended by APC, Eaton, Numeric O.E.M. for 2 hour backup का विवरण भी उपलब्ध करायें
11	Generator (Sound and Pollution Less) –Kirloskar make of 5 KVA or more depending on Gate लगाना है। विवरण भी उपलब्ध करायें।
12	गेट कार्यालय में Ceiling Fans- 2 number, Tubelight, Bulb व्यवस्था का विवरण भी उपलब्ध करायें।
13	Computer to be used as server should be of Commercial series and Not of Home series with Core i5 processor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, 15 “ screen Windows, Operating System and should be capable to record digital video output of CCTV Camera का विवरण भी उपलब्ध करायें
14	Computer to be used as client should have Windows 10 OS Core i5 processor, 8 GB RAM, 256 GB SSD Drive with Internet browser Internet Explorer and connectivity to printer, 2 Ethernet Port ,1 Serial Port का विवरण भी उपलब्ध करायें
15	Printer – High Speed Laser Jet USB Printer, लगाना है, का विवरण भी उपलब्ध करायें।
16	Security camera- Digital Video recorder and Outdoor camera with specification capable to record on server PC का विवरण भी उपलब्ध करायें
17	Constant Voltage Transformer:- भार मापन में प्रयोग सभी इलेक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर एक्ससेरीज एवं UPS को बिजली झटकों से बचाने हेतु Voltage नियंत्रण यंत्र के प्राविधान के विषय में विवरण उपलब्ध करायें।

तृतीय भाग– आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र की विशिष्टियां जो निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(Part – 3 Description of Specification of RFID)

18	निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली RFID संयन्त्र का Sepcification, Auto I.D Based system, I.S.O Standard, Non line of sight communication, Quick and Robust, Easy to Use, Exceptional Performance of RFID Tags, Automated entry for check - in and check – out, Real time Data for Vechile entry/exit, Verfication and Validation fo truck
----	---

चतुर्थ भाग– इंटरनेट की विशिष्टियां जो निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(Part – 4 Description of Specification of Internet)

19	निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली Internet का Sepcification, type of Internet, Internet speed, no. of public I.P., ISP name.
----	--

नोट— निर्धारित तकनीकी मानकों से यदि भिन्ता है तो कृपया अंकित कर ध्यानाकर्षण करायें।
(Deviation if any should be notified)। उपरोक्त प्रत्येक 17 आइटम हेतु पृथक-पृथक
विवरण दें। तकनीकी निविदा के प्रत्येक पेज पर पृष्ठ संख्या का उल्लेख करें तथा प्रत्येक पृष्ठ
पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मुहर लगी होनी चाहिये ।

- तकनीकी बिड पहले खोली जाएगी, अगर वह नॉन रिसपोन्सिव (मानको में पूर्ण नहीं उतरना) होगी तो उसकी वित्तीय बिड नहीं खोली जाएगी।

निविदादाता / निविदादाताओं के हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम)

प्रपत्र-8

कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों, सीसीटीवी, इंटरनेट एवं आर०एफ०आई०डी० (Radio Frequency Identification Device) संयन्त्र की वित्तीय निविदा प्रपत्र **Financial Bid**
निविदा प्रपत्र

(To be Printed in Letter Head of Bidder)

(निविदादाता का नाम एवं पत्राचार हेतु पता, ई-मेल, मोबाईल नं०, निविदादाता के **Letter Head** पर स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है।)

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक (ग०क्ष०),
 उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
 कोटद्वार

कार्य का विवरण – गंगा एवं सहायक नदियों में कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों, सीसीटीवी, इंटरनेट एवं आर० एफ० आई०डी० संयन्त्र की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव हेतु "वित्तीय निविदा"

महोदय,

वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र निम्नवत प्रस्तुत हैं :-

कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटा, सीसीटीवी, इंटरनेट एवं आर०एफ०आई०डी० स्थापना, संचालन, रखरखाव शुल्क की अधिकतम धनराशि रु० 0.075 प्रति कुन्तल की सीमा के अन्तर्गत निविदादाता का अंश पृथक-पृथक निम्नवत प्रस्तुत है।

1-

वाहन का प्रकार	धर्मकांटा, सीसीटीवी, इंटरनेट एवं आर०एफ०आई०डी० स्थापना, संचालन, रखरखाव की दर रु० प्रति कुन्तल (जी०एस०टी० अतिरिक्त)				धर्मकांटा, सीसीटीवी, इंटरनेट एवं आर०एफ०आई०डी० स्थापना, संचालन, रखरखाव की अधिकतम दर रु० प्रति कुन्तल (जी०एस०टी० अतिरिक्त)
	वन विकास निगम को दिये जाने वाले अंश		निविदादाता का अंश		
	अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में	
1	2	3	4	5	6
वाहन	रु०	रु०	रु०	रु०	रु० 0.075 प्रति कुन्तल (कॉलम 02+04 का योग)
बुग्गी	रु०	रु०	रु०	रु०	रु० 0.075 प्रति कुन्तल (कॉलम 02+04 का योग)

(नोट:-राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित कर यथा जी०एस०टी० इत्यादि उपरोक्त दरों में सम्मिलित नहीं है, जो कि प्रथक से देय होंगे।)

मेरे/हमारे द्वारा निविदा शर्तें भली-भाँति पढ़ ली गई हैं, समझ ली गई हैं, जिनको मानने हेतु मैं/हम बाध्य हूँ/हैं। सभी शर्तों एवं अनुबन्धों/प्रक्रियाओं का पालन मेरे/हमारे द्वारा किया जायेगा।

निविदादाता/निविदादाताओं के हस्ताक्षर
 (नाम व पदनाम)

निविदा हेतु वचनबद्धता (Undertaking) का प्रपत्र

(To be printed on Letter Head of Bidder)

निविदाता का नाम एवं पत्राचार हेतु पता, ई-मेल, मोबाइल निविदा दाता के Letter Head पर स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है।

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक (ग0क्षे0)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
कोटद्वार।

कार्य का विवरण –गंगा एवं सहायक नदियों पर कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव हेतु निविदा”

महोदय,

1. उक्त कार्य हेतु निविदा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों यथा निविदादाताओं हेतु निर्देश, शर्तें एवं प्रतिबन्ध, विशिष्टतायें एवं अन्य संदर्भ, अनुबन्ध पत्र का भली-भाँति अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात मैं/हम, जिनके नीचे हस्ताक्षर हैं, निविदा अभिलेखों से सहमति की दशा में उक्त कार्य हेतु तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा देते हैं।
- 2. निम्नलिखित में से एक विकल्प को निरस्त कर चयनित विकल्प को हस्ताक्षरित करें:-
वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न कर दी है।
अथवा
मैं/हम द्वारा माप बांट एवं तोल विभाग के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा संचालन हेतु पंजीकृत हैं। मैं/हम द्वारा कय एवं विकय नहीं किया जाता है। अतः वाणिज्य कर विभाग द्वारा मैं/हमें GST.I.N प्रदत्त नहीं किया जाता है।
3. निम्नलिखित में से एक विकल्प को निरस्त कर चयनित विकल्प को हस्ताक्षरित करें:-
मैं/हम ई0एस0आई0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार पंजीकृत है और तकनीकी निविदा के साथ पंजीकरण की प्रति संलग्न कर दी है।
अथवा
मैं/हम वचन देते हैं कि ई0एस0आई0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार मैं/हम पंजीकृत होने की श्रेणी की अर्हता नहीं रखते हैं। अतः ई0एस0आई0 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं। भविष्य में जब हम ई0एस0आई0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार पंजीकरण की अर्हता के अन्तर्गत आयेंगे तब मैं/हम पंजीकरण करा कर आपको अवगत करायेंगे।
4. निम्नलिखित में से एक विकल्प को निरस्त कर चयनित विकल्प को हस्ताक्षरित करें:-
मैं/हम ई0पी0एफ0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार पंजीकृत है और तकनीकी निविदा के साथ पंजीकरण की प्रति संलग्न कर दी है।

अथवा

मैं/हम वचन देते हैं कि ई0पी0एफ0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार मैं/हम पंजीकृत होने की श्रेणी की अर्हता नहीं रखते हैं। अतः ई0पी0एफ0 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं। भविष्य में जब हम ई0पी0एफ0 अधिनियम के प्राविधान के अनुसार पंजीकरण की अर्हता के अन्तर्गत आयेंगे तब मैं/हम पंजीकरण करा कर आपको अवगत करायेंगे।

5. मैं/हम हैसियत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न कर दी है।
6. मैं/हम वचन देते हैं कि, यदि मेरी/हमारी निविदा स्वीकार की जाती है तो हम कार्यादेश प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटा, सीसीटीवी कैमरा तथा आर0एफ0आई0डी0 संयंत्र स्थापित कर देंगे। अनुबन्ध में जो अवधि दर्शायी गयी है, मैं कार्य पूर्ण करने का वचन देता हूँ।
7. यदि मेरी/हमारी निविदा स्वीकार की जाती है तो, मैं/हम सभी आवश्यक अभिलेख, कार्यपूर्ति प्रतिभूति, जो अनुबन्ध के लिए आवश्यक है, कार्यादेश जारी होने के 7 दिन में प्रस्तुत कर दूंगा/देगें तथा अनुबन्ध पत्र 7 दिन में हस्ताक्षरित कर दूंगा/देगें।
8. मैं/हम अपनी निविदा को निविदा खोलने की तिथि से 90 दिन तक के लिए प्रभावी रखेंगे। मैं/हम अग्रेत्तर बचन देते हैं कि हम इस अवधि में निविदा में भरी धनराशि में कोई संशोधन नहीं करूंगा/करेंगे।
9. जब तक अनुबन्ध तैयार करके उसे लागू किया जायेगा, तब तक यह निविदा, स्वीकृति के साथ और बिना स्वीकृति के, हमारे मध्य एक बाध्यकारी संविदा (Contract) के रूप में मान्य होगी, बिना किसी द्वेष के निर्देशों के अनुसार आपको अपनी स्वीकृति वापस लेने का अधिकार रहेगा।
10. मैं/हम यह भली-भाँति समझते हैं कि आप न्यूनतम या अन्य किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

दिनांक :-

निविदादाता/निविदादाताओं के हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम)

भाग-10-संविदा अनुबन्ध का प्रारूप

- यह अनुबन्ध आज दिनांक —2023. को सफल निविदादाता नाम व पता, जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जायेगा, जो सम्बोधन उनके उत्तराधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों को समाहित करता है एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक (ग0क्षे0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कोटद्वार जिन्हें बाद में द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जो सम्बोधन उनके उत्तराधिकारियों को समाहित करता है, के मध्य संस्थित किया गया ।

हरिद्वार जनपद स्थित गंगा एवं सहायक नदियों पर उप-खनिज संग्रहण कार्य पर नियन्त्रण हेतु कम्प्यूटरीकृत, धर्मकांटों सीसीटीवी, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र की स्थापना, संचालन, रखरखाव का कार्य अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवंटित किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार सन्दर्भित नदियों पर स्थापित तौल कांटों पर उप-खनिज निस्तारण की कार्यवाही की जानी है। सफल निविदादाता का नाम व पता इन कांटों पर कम्प्यूटरीकरण, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र स्थापित करने के लिए सहमत हैं तथा उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अनुबन्ध करने हेतु दोनों पक्षों द्वारा निम्न शर्तों पर सहमति हुई :-

प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच सम्बन्ध (Relationship between the Parties)

1. यह कि प्रथम पक्ष वर्णित स्थानों पर नये कम्प्यूटरीकृत तौल कांटों, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र को स्थापित करने, संचालन व रखरखाव के लिए द्वितीय पक्ष के मार्गदर्शन में कार्यों का सम्पादन करेगा।
2. यह कि धर्मकांटों, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र तथा उसके सहवर्ती उपकरण सामग्री उच्च कोटि तथा नयी स्थापित की जायगी जिसका सत्यापन प्रथम पक्ष द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक (ग0क्षे0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कोटद्वार अथवा उनके द्वारा गठित समिति से कराया जायेगा।
3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा स्थापित किये जाने वाले धर्मकांटों का माडल DIRECTOR LEGAL METROLOGY, GOVERNMENT OF INDIA या उत्तराखण्ड सरकार के सम्बंधित विभाग के निर्देशों से ACOMPLIANT होगा जिसका प्रमाण प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा।
4. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा धर्मकांटों का रखरखाव व तौल, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र का रखरखाव एवं संचालन उत्तराखण्ड सरकार के लागू नियमों के अनुसार कराया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में यदि कोई जुर्माना या दण्ड अधिरोपित किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
5. यह कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व धर्मकांटों का प्रमाणीकरण प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम विभाग से कराने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
6. यह कि कम्प्यूटरीकृत तौल कांटों तथा सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र का रख-रखाव एवं संचालन प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा एवं उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप में तौल कांटे से आगमन-पर्ची एवं निर्गमन-पर्ची (Entry Slip and Exit Slip) एवं ई-रवन्ना जारी किया जायेगा तथा यह कि उप-खनिज संग्रहण को तुलाई के माध्यम से निकासी के लिए द्वितीय पक्ष आवश्यक सॉफ्टवेयर Khanan Management Software (KMS) प्रथम पक्ष के कम्प्यूटर पर लोड करेगा। (Entry Slip and Exit Slip) जारी करने हेतु स्टेशनरी उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
7. यह कि प्रथम पक्ष निविदाशर्तों के अनुसार सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त फुटेज उपलब्ध करायेगा।

8. यह कि संलग्नक-1 में वर्णित स्थलों पर निर्धारित दो तौल कांटे तथा निविदा शर्तों के अनुसार सीसीटीवी, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र स्थापित किये जायेंगे, जहां पर उप-खनिज की तौल की जानी है। प्रथम चरण में प्रत्येक गेट पर एक-एक तौल कांटा, आर0एफ0आई0डी0 एवं इंटरनेट स्थापित करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात आवश्यकता को देखते हुए दूसरा तौल कांटा प्रथम पक्ष द्वारा स्थापित किया जायेगा। उप-खनिज निस्तारण के कार्य सम्पादन को सुगम करने के उद्देश्य से द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उप-खनिज संग्रहण कार्य पर सुदृढ़ नियंत्रण एवं सुगमता से सम्पादन के निमित्त तौल कांटों तथा कैमरों की संख्या तथा स्थापना के स्थान में परिवर्तन कर सके तथा आवश्यकता पडने पर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित परिवर्तित स्थान पर कम्प्यूटरीकृत तौल कांटा, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र यथा समय स्थापित किया जाना होगा जिस पर आने वाला शिफ्टिंग व्यय प्रथम पक्ष (निविदा दाता द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा) द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त व्यय अथवा इससे सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में यदि प्रथम पक्ष द्वारा अपील होती है तो अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, ऑर्बिट्रेटर होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम होगा जो प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
9. यह कि अनुबन्ध की सामान्य अवधि 03 वर्ष (उपखनिज संग्रहण सत्र 2023-24 से 2026-27 तक) हेतु निर्धारित होगी। प्रथम पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह उक्त अवधि में तौल कांटों के रख-रखाव एवं सर्विसिंग आदि का कार्य पूर्ण करवायेगा। इंटरनेट व्यवस्था सुचारू रूप से सम्पन्न होनी चाहिए, सी0सी0टी0वी0 कैमरे से की गई वीडियो रिकार्डिंग स्पष्ट होनी चाहिए, जिसमें वाहन का नम्बर आदि स्पष्ट दिखाई दें।
10. यह कि अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त अथवा उससे पूर्व अनुबन्ध समाप्त कराये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को वन विभाग की भूमि पर स्थापित अपनी मशीन, औजार एवं अन्य उपकरणों आदि को अपने व्यय पर 15 दिन की अवधि में अनिवार्य रूप से हटाना होगा, अन्यथा द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से सम्बन्धित सामान को जब्त करने का अधिकारी होगा।
11. यह कि यदि उप खनिज संग्रहण की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत कोई वैधानिक आदेश (राज्य सरकार, वन विभाग/माननीय न्यायालय) द्वारा उप खनिज न किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है एवं अन्य किसी के विधिक आदेश के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत तौल कांटों में तौल कार्य तथा सीसीटीवी, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र से कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष को उक्त अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार होगा तथा प्रथम पक्ष द्वारा जमा कराई गई कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार के मुआवजे, अनुग्रह राशि आदि पाने का अधिकारी नहीं होगा और न ही किसी प्रकार की प्रति पूर्ति पाने की मांग करेगा, उसे अपने व्यय पर कार्य स्थल से अपना तौल कांटा, औजार व अन्य सामग्री 15 दिन की अवधि में हटानी होंगी अन्यथा द्वितीय पक्ष अथवा वन विभाग द्वारा उक्त सामग्री को जब्त किया जा सकेगा।
12. यह कि प्रथम पक्ष अपने द्वारा स्थापित धर्मकांटों, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र की सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।
13. यह कि किसी दैवीय आपदा चोरी एवं आग आदि से प्रथम पक्ष के मशीन, औजार आदि को हुई हानि के लिये द्वितीय पक्ष का किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा एवं प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से किसी भी प्रकार के मुआवजे, अनुग्रह राशि पाने का अधिकारी नहीं होगा।
14. यह कि प्रथम पक्ष से उसके भुगतान राशि पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित करों की कटौती द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी। खनन सत्र के दौरान धर्मकांटा आर0एफ0आई0डी0, इंटरनेट एवं सी0सी0टी0वी0 आदि (गेटवार) पर हुए विद्युत व्यय के बिलों का भुगतान प्रथम द्वारा देय होगा
15. सफल निविदादाता द्वारा गेटों पर स्थित सर्वर को पब्लिक आईपी0 भी उपलब्ध कराना होगा, जिससे सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक एवं मुख्यालय स्तर से सर्वर का Access लिया जा सके।

अनुबन्ध की अवधि (Duration of Contract)

16. यह कि अनुबन्ध की सामान्य अवधि 3 वर्ष (उप खनिज संग्रहण सत्र 2023-24 से 2026-27 तक)/वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की तिथि तक, जो भी पहले हो तक, निर्धारित होगी, जो प्रथम पक्ष के संतोषजनक प्रदर्शन पर सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक / क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा की गई संस्तुति एवं आपसी सहमति के आधार पर, प्रबन्ध निदेशक / द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित रूप से दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
17. यह अनुबन्ध सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण स्वीकृति की सीमा तक उपादित रहेगा।
18. प्रथम पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह उक्त अवधि से पूर्व तौलकांटों के रखरखाव एवं सर्विसिंग आदि का कार्य पूर्ण करवायेगा। उपरोक्त अवधि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा राज्य सरकार/जिलाधिकारी से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को विधिवत् आवंटन पर ही अनुमन्य होगी।
19. यह कि अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त अथवा उससे पूर्व अनुबन्ध समाप्त कराये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को वन विभाग की भूमि पर स्थापित अपनी मशीन, औजार एवं अन्य उपकरणों आदि को अपने व्यय पर 15 दिन की अवधि में अनिवार्य रूप से हटाना होगा, अन्यथा द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से सम्बन्धित सामान को जब्त करने का अधिकारी होगा।
20. यह कि यदि उप खनिज संग्रहण की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत कोई वैधानिक आदेश (राज्य सरकार, वन विभाग/माननीय न्यायालय) द्वारा उप खनिज कार्य न किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है एवं अन्य किसी के विधिक आदेश के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत तौलकांटों में तौल कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता है, तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष को उक्त अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार होगा तथा प्रथम पक्ष द्वारा जमा कराई गई कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार के मुआवजे, अनुग्रह राशि आदि पाने का अधिकारी नहीं होगा और न ही किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति की मांग करेगा। उसे अपने व्यय पर कार्य स्थल से अपना तौलकांटा, औजार व अन्य सामग्री 15 दिन की अवधि में हटानी होगी, अन्यथा द्वितीय पक्ष अथवा वन विभाग द्वारा उक्त सामग्री को जब्त किया जा सकेगा।
21. यह कि प्रथम पक्ष अपने मशीनरी और उपकरणों, आदि के लिए सभी आवश्यक बीमा करायेगा।

प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु शर्तें Terms of Payment

22. यह कि दोनों पक्षों के मध्य कम्प्यूटरीकृत तौल कांटों, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 संयंत्रों के नियमित संचालन एवं रख-रखाव के लिए आवश्यक समन्वय बनाये रखा जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा कम्प्यूटरीकृत तौल कांटों पर प्रत्येक वाहन से अनुमन्य धनराशि प्रति कुन्तल की दर से तौल की कुल राशि वसूली जायेगी, जिसमें से प्रथम पक्ष को उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए स्वीकृत दर प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किया जायेगा तथा द्वितीय पक्ष रू0 प्रति कुन्तल की दर से उत्तराखण्ड वन विकास निगम का अंश अपने पास रखेगा।
23. प्रथम पक्ष द्वारा प्रेषित वित्तीय निविदा इस अनुबंध पत्र के संलग्नक-4 में उपलब्ध है।

कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे संचालन के मानक Standards of Performance

24. खनन सत्र के सभी दिन, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र को निर्धारित मानकों के साथ कार्य करेंगे। राष्ट्रीय/राजपत्रित अवकाश एवं सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक, खनन द्वारा घोषित अवकाश को खनन कार्य नहीं होगा।
25. सफल निविदादाता को अपना प्रतिनिधि तथा सर्विस से सम्बन्धित बैकअप टीम सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक (खनन)द्वारा निर्देशित स्थल पर उपलब्ध कराना होगा। जहां पर तकनीकी कर्मी हमेशा उपस्थित रहेंगे एवं धर्मकांटे में खराबी या रूकावट आने पर तत्काल पहुंचना होगा तथा अपने सम्बन्धित तकनीकी कर्मी का मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा।
26. कार्य की अवधि आगामी 03 वर्ष (उपखनिज संग्रहण सत्र 2023-24 से 2026-27 तक) के लिये अथवा उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उद्योग निदेशालय द्वारा स्वीकृत कार्य सीजन के अनुरूप होगी। प्रथम पक्ष को अपने उपकरणों की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। अनुबन्ध की अवधि में प्रत्येक वर्ष कार्य सीजन समाप्ति 31 मई मा उपखनिज निकासी लक्ष्य की प्राप्ति जो पहले हो के उपरान्त प्रथम पक्ष को अपने द्वारा स्थापित उपकरणों को अपने व्यय पर अपनी अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा कार्य सीजन के प्रारम्भ 01 अक्टूबर से पूर्व गेटों पर स्थापित किया जायेगा। यह अवधि भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को विधिवत् आवंटन पर ही अनुमन्य होगी।
27. कम्प्यूटरों एवं तौलकांटों, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र आदि की सुरक्षा का दायित्व भी निविदादाता का होगा।
28. यह कि द्वितीय पक्ष कम्प्यूटरीकृत तौल कांटों तक विद्युत आपूर्ति संयोजन स्थापित करने का हर सम्भव प्रयास करेगा, परन्तु यदि द्वितीय पक्ष किन्हीं कारणों से विद्युत आपूर्ति संयोजन स्थापित करने में असमर्थ रहता है तो, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को विद्युत आपूर्ति न करा पाने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा एवं प्रथम पक्ष को अपने स्तर से विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था, यथा प्रदूषण रहित विद्युत जनरेटर आदि की स्थापना अपने व्यय पर उपलब्ध करानी होगी ताकि कम्प्यूटरीकृत तौल कांटों, सीसीटीवी कैमरों, इंटरनेट एवं आर0एफ0आई0डी0 आदि का संचालन कार्य निर्बाध नियमित रूप से चलता रहे। तौल कांटो पर विद्युत उपयोग का समस्त व्यय प्रथम पक्ष को वहन करना होगा। इस व्यय का प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को मासिक रूप से भुगतान करेगा अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा दिये जाने वाले भुगतान अथवा बन्धक राशि से इसका समायोजन किया जा सकेगा। उपखनिज निकासी गेट संचालित करने से पूर्व सभी व्यवस्थायें पूर्ण करनी होगी, ताकि 01 अक्टूबर, 2023 से कार्य प्रारम्भ हो सके।

यंत्रों का सुरक्षात्मक एवं कार्यकारी रख-रखाव

Preventive and operational Maintenance

- 29-प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर सभी यंत्र एवं यंत्रों का निरीक्षण किया जायेगा। यह निरीक्षण द्वितीय पक्ष की सुविधानुसार निर्धारित अन्तराल में किया जायेगा अन्यथा प्रति 15 दिन के अन्तराल में किया जायेगा। रख-रखाव हेतु उपयोग की जाने वाली अवधि की सूचना प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को पूर्व में लिखित रूप से सूचित की जायेगी। जो पुर्ज खराब है उन्हें प्रथम पक्ष द्वारा बदल दिया जायेगा।
- 30-जब प्रथम पक्ष द्वारा कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे की सुरक्षात्मक एवं कार्यपूर्ति रख-रखाव हेतु पूर्व घोषित अवधि, जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा अनुमन्य किया गया हो, तब उस रख-रखाव की अवधि को धर्मकांटे के खराब होने की अवधि नहीं मानी जायेगी और अर्थ-दण्ड की वसूली लागू नहीं होगी। When

the first party pre-declares to take an off- time to undertake preventive and operational maintenance, and when it is so approved by the second party, then the period for preventive and operational maintenance, will be not considered as downtime, thus penalty clause will not apply.

31-समयबद्ध रख-रखाव का कार्य उस समय किया जायेगा जब धर्मकांटे पर वाहनों का आवागमन न्यूनतम रहता है जिससे धर्मकांटे के संचालन में दुष्प्रभाव न पड़े।

32-कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र के शत प्रतिशत कार्य सुनिश्चित करने हेतु सभी इलेक्ट्रानिक सम्बन्धित उपकरणों का Back up प्रथम पक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत तकनीकी निविदा में निर्धारित मानकों के अनुरूप निम्नलिखित उपकरण का अतिरिक्त रूप से, प्रथम पक्ष द्वारा Back up हमेशा रखा जायेगा-

1- 4 KVA Online UPS

2- Server Computer

3- Client Computer

4- Printer

5- Load Cell

6- Weight Indicator

7- Security Camera

8- Internet Devices

9- Networking Devices

10-RFID Device

11-Other Accessories

12-Arrangement for Back up generator

सूचना उपलब्ध कराना (Delivery of Data)

33-प्रथम पक्ष द्वारा सभी प्रकार की सूचना जो द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित की जायेगी, निर्धारित रूप एवं प्रारूप में प्रेषित की जायेगी। सूचना का प्रेषण इंटरनेट, फैक्स, मोबाइल, प्रिंट, मेमोरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेनड्राइव मेमोरी जैसे रूप में द्वितीय पक्ष द्वारा निर्देशित करने पर प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

विधि के प्राविधानों का अनुपालन Abide Legal provisions and Duties

34. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बांट-माप विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग आदि से तौल कांटों के सत्यापन का प्रमाण-पत्र प्रथम पक्ष द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा तथा इससे सम्बन्धित अभिलेख द्वितीय पक्ष के पास प्रस्तुत करने होंगे।

35. यह सिद्ध होने पर कि तौल कांटों पर कोई छेड़छाड़ की गई या गड़बड़ी पाई जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व सम्पूर्ण रूप से प्रथम पक्ष का होगा।

36. प्रथम पक्ष का यह दायित्व भी होगा कि अनुबन्ध की सम्पूर्ण अवधि में तौल कांटों के सुचारु संचालन के लिए नियमानुसार निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। यह कि प्रथम पक्ष तौल कांटों एवं कम्प्यूटरों के रख-रखाव के लिये सक्षम संस्थाओं से वार्षिक रख-रखाव संविदा के अनुबन्ध-पत्र की प्रति द्वितीय पक्ष को भी उपलब्ध करायेगा। तौल कांटों व उससे संबंधित अन्य उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

37. यह कि कम्प्यूटरीकृत तौल काँटों के रख-रखाव, क्षतियों की मरम्मत, जो कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र एवं कम्प्यूटर आदि से सम्बन्धित हो, के लिये प्रथम पक्ष उत्तरदायी रहेगा एवं यदि तौल काँटों के संचालन में कोई तकनीकी कमी आती है तो उसे तुरन्त ठीक कराने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा एवं इस अवधि में वाहनों की तौल की वैकल्पिक व्यवस्था, द्वितीय पक्ष के संज्ञान में प्रथम पक्ष द्वारा अपने स्वयं के अतिरिक्त व्यय पर की जानी होगी ।
38. धर्मकांटे पर दो दिशा से आने वाले वाहनों की वीडियो रिकार्डिंग करने हेतु दो पृथक वीडियो कैमरे प्रथम पक्ष द्वारा स्थापित किये जायेंगे। कैमरों को कार्यालय की दीवार पर स्थापित किया जा सकता है। कैमरों की घडी कार्यालय में स्थित सर्वर एवं क्लाउड कम्प्यूटरों के साथ Synchronise की जायेगी। प्रथम पक्ष वीडियो रिकार्डिंग सम्पूर्ण अनुबन्ध की अवधि तक सुरक्षित रखेगा। इस हेतु यथावश्यक कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी। द्वितीय पक्ष एवं वैधानिक अधिकार प्राप्त अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर वीडियो रिकार्डिंग की प्रति को मेमोरी डिस्क में उपलब्ध करानी होगी।
39. प्रथम पक्ष द्वारा समस्त धर्मकांटों पर आवश्यकता अनुसार अपने व्यय से अतिरिक्त ड्रोन कैमरों की व्यवस्था करनी होगी तथा ड्रोन कैमरों का सीधा प्रसारण द्वितीय पक्ष में सम्बन्धित प्रभागीय कार्यालय खनन, /क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय गढ़वाल क्षेत्र, कोटद्वार में उपलब्ध कराना होगा।

द्वितीय पक्ष द्वारा निरीक्षण Inspection

40. यह कि कम्प्यूटरीकृत तौल काँटों के संचालन का नियन्त्रण द्वितीय पक्ष के अधिकारी/कर्मचारियों के अधीन किया जायेगा ।
41. यह कि द्वितीय पक्ष के अधिकारी/कर्मचारियों एवं वन विभाग के कार्मिकों को तौल काँटों का किसी भी समय निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
42. कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे की स्थापना के समय इसकी विशिष्टियों का सत्यापन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्राधिकृत विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।
43. द्वितीय पक्ष द्वारा गाड़ियों की रैण्डम जांच कराई जायेगी। यदि तौल में कोई अन्तर पाया जाता है तो उपखनिज की रायल्टी दर + रू0 50/- प्रति कु0 अर्थदण्ड, उक्त कार्य दिवस या रैण्डम जांच की पिछली तिथि में से जो भी अधिक हो, में कुल प्रविष्ट उपखनिज की मात्रा से गुणाकर, प्रथम पक्ष द्वारा वन विकास निगम को 07 दिन के अन्दर भुगतान करना होगा। अन्यथा जमानत राशि से इसका समायोजन कर लिया जायेगा।

कार्यपूर्ति प्रतिभूति Performance Guarantee

44. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को जनपद हरिद्वार स्थित गंगा एवं सहायक नदियों हेतु धनराशि रू0 75.00 लाख (वर्तमान में संचालित खासन-प्रथम एवं द्वितीय व कोटावली 03 नदियों हेतु तथा गंगा भोगपुर, बिशनपुर, चिड़ियापुर, श्यामपुर नदियों में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा स्टे लगाया गया है। यदि भविष्य में स्टे हटाया जाता है, तो 07 नदियों हेतु कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि कुल रू0 1.50 करोड़ होगी) मात्र की 03 वर्ष की सावधि जमा बन्धक राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
45. यह कि प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि में संलग्नक-1 में वर्णित समस्त स्थानों पर कम्प्यूटरीकृत तौल कांटों की अवस्थापना कर संचालन कार्य आरम्भ करना होगा। धर्मकांटों पर समस्त उपकरण जैसे लोडसेल, इन्डीकेटर, यू0पी0एस0, सी0पी0यू0, प्रिन्टर तथा सीसीटीवी कैमरा, इंटरनेट डिवाइसेस आदि मानक के अनुरूप कार्यादेश प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर लगाने होंगे, जिसका निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व किया जायेगा। प्रथम पक्ष पर ऐसा न किये जाने पर प्रतिदिन विलम्ब के लिए प्रतिदिन/प्रतिस्थल रू0 25,000/- (रू0 पच्चीस हजार) मात्र तक का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष, प्रथम

पक्ष से वसूल कर सकेगा। यह अवधि 15 दिन तक मान्य होगी इसके पश्चात जमानत की धनराशि जब्त कर, कांटों की स्थापना एवं रख-रखाव हेतु वन विकास निगम स्वतंत्र होगा।

श्रमिक से सम्बन्धित Labor Related

46. सफल निविदादाता का ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण आवश्यक है। कार्मिकों का पंजीकरण ई0पी0एफ0 में कराकर नियमानुसार ई0पी0एफ0 कटौती कर राजस्व खाते (ई0पी0एफ0) में जमा करना होगा। धर्मकांटो में कार्यरत कार्मिकों के समस्त देयकों के भुगतान एवं उनकी सुविधा का उत्तरदायित्व प्रस्तावक का है। प्रस्तावक को योजित मजदूरों/कार्मिकों के उपस्थिति पंजिका/मस्ट्रोल का रखरखाव भी करना होगा। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पालन करना प्रथम पक्ष का दायित्व होगा।
47. कार्य के दौरान/अनुबन्ध अवधि में प्रथम पक्ष द्वारा योजित कार्मिकों की किसी भी प्रकार के **Compensation** आदि की देयता का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
48. निविदादाता को अपने कार्मिकों का स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय चिकित्सालय/निजी चिकित्सालय से कराना होगा तथा सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक (खनन) या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मांगे जाने पर उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
49. सफल निविदादाता को उक्त कार्य के **Rights or Liabilities** किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
50. सफल निविदादाता को उक्त कार्य में योजित किये जाने वाले कार्मिकों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम व विवरण recent Photograph, proof of Identity, character certificate सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक, खनन को पूर्व से उपलब्ध कराया जाना होगा। कार्य के दौरान सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक, खनन यदि यह समझते हैं कि किसी कर्मी का कार्य/व्यवहार वन विकास निगम के हित में नहीं है तब वह उस कार्मिक को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित कर सकता है। प्रथम पक्ष को तदनुसार प्रभागीय प्रबन्धक, खनन के निर्देशानुसार कार्यवाही करने की बाध्यता होगी एवं प्रतिस्थानी की अविलम्ब व्यवस्था करनी होगी।
51. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समय-समय पर खनन कार्यों में संलिप्त श्रमिकों/कर्मचारियों आदि हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्रथम पक्ष को आवश्यक रूप से सहभागिता करनी होगी।

अर्थ-दण्ड Penalty

52. कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र विधिवत् स्थापित होने के बाद सफल निविदादाता द्वारा इन्का संचालन एवं रखरखाव किया जाना बाध्यकारी होगा, प्रत्येक कार्य दिवस का अप एण्ड रनिंग टाइम (Up And Running Time) 100 प्रतिशत होगा। अर्थ-दण्ड लगाने को कुल चार स्तर पर विभाजित किया गया है। प्रथम स्तर का अर्थ-दण्ड एक कार्य दिवस में हुई कार्य बाधा की अवधि के आधार पर कुल रू0 25,000/-आर्थिक दण्ड तक का है। दूसरा स्तर का अर्थ-दण्ड एक कार्य दिवस में हुई कार्य बाधा की अवधि के आधार पर कुल रू0 50,000/-आर्थिक दण्ड तक का है। तीसरा स्तर का अर्थ-दण्ड उस स्थिति के लिये है जब दूसरे स्तर के दण्ड के क्रियान्वयन के बाद भी कार्य अवरूद्ध रहता है। चौथे स्तर का अर्थ-दण्ड कार्यपूर्ति प्रतिभूति जब्त करने का है।
53. कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटे, सी0सी0टी0वी0, इंटरनेट व आर0एफ0आई0डी0 संयन्त्र में किसी भी कारण कार्य का संचालन बाधित होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा अर्थ-दण्ड का निर्धारण निम्नवत किया जायेगा-

1. प्रथम घंटे में कार्य बाधित होने पर अर्थ-दण्ड रू0 100 प्रति 15 मिनट की अवधि के लिये।

2. इस तरह प्रथम घंटे कार्य बाधित होने पर कुल रू0 400 अर्थ-दण्ड।
 3. दूसरे घंटे में कार्य बाधित होने पर अर्थ-दण्ड रू0 200 प्रति 15 मिनट की अवधि के लिये।
 4. इस तरह दूसरे घंटे कार्य बाधित होने पर कुल रू0 800 अर्थ-दण्ड।
 5. तीसरे घंटे में कार्य बाधित होने पर अर्थ-दण्ड रू0 300 प्रति 15 मिनट की अवधि के लिये।
 6. इस तरह तीसरे घंटे कार्य बाधित होने पर कुल रू0 1200 अर्थ-दण्ड।
 7. इस तरह उपरोक्त अनुपात में आठवें घंटे में कार्य बाधित होने पर अर्थ-दण्ड रू0 800 प्रति 15 मिनट की अवधि के लिये।
 8. इस तरह आठवें घंटे कार्य बाधित होने पर कुल रू0 3200 अर्थ-दण्ड।
 9. उक्त अनुपात में यदि कुल आठ घंटे कार्य बाधित होता है तो रू0 14400 का कुल अर्थ-दण्ड निर्धारित होगा।
54. धर्मकांटों की खराबी की पुनरावृत्ति होने पर प्रत्येक पुनरावृत्ति के लिए रू0 25,000/- तक का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। उपरोक्त शर्त संख्या-52 में निर्धारित अर्थ-दण्ड का अनुपात का संशोधन कर प्रभागीय प्रबन्धक, खनन,.....द्वारा दण्ड की मात्रा में संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने पर प्रथम पक्ष पर संशोधित अर्थ-दण्ड के मानक लागू होंगे।
55. धर्मकांटों पर यदि कोई उपकरण खराब होता है तो उसे तुरन्त बदलने की कार्यवाही धर्मकांटा संचालक को करनी होगी, और उसी कार्य दिवस में न कर पाने की दशा में उक्त खराब उपकरण को सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक, खनन द्वारा मरम्मत/रिप्लेस कराया जाता है तो उक्त में हुए व्यय को धर्मकांटा संचालक को किये जाने वाले भुगतान में से समायोजित कर लिया जायेगा तथा इस प्रक्रिया में हुए विलम्ब के कारण आंकलित राजस्व की हानि की वसूली प्रथम पक्ष से की जायेगी।
56. धर्मकांटे में प्रथम पक्ष द्वारा तैनात कार्मिकों के समस्त कृत्यों के लिए निविदादाता उत्तरदायी होगा। किसी भी गेट में अनियमितता/निगम हित विरोधी कार्यों में कोई धर्मकांटा कार्मिक लिप्त पाया जाता है तो इसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक खनन द्वारा दण्ड निर्धारित कर प्रस्तावक के बिल से वसूली कर ली जायेगी एवं वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है तथा नेक जमानत की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
57. शर्त संख्या-52 एवं 54 के अनुसार अर्थ-दण्ड की अपील प्रथम पक्ष द्वारा सम्बन्धित अपर प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा। इस क्रम में अपर प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

वाद-विवाद : Legal Jurisdiction and Arbitration

58. इस अनुबन्ध के विभिन्न प्रतिबन्धों के अनुपालन में यदि दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पीड़ित पक्ष दूसरे पक्ष को 15 दिन का नोटिस देते हुये अपर प्रबन्ध निदेशक / महाप्रबन्धक (उत्पादन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आर्बीट्रेशन के लिये आवेदन करेगा। उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों के लिये स्वीकार्य एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
59. असंतुष्टि की स्थिति में दोनों पक्ष, मा0 उच्च न्यायालय, हरिद्वार में अपील करने हेतु स्वतंत्र होंगे।
60. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा इस अनुबन्ध पत्र के प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने अथवा तौल कांटों के संतोषजनक संचालन न करने पर, यदि द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबन्ध की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व समाप्त करने का निर्णय लेता है तो प्रश्नगत कार्य किसी अन्य के माध्यम से सम्पादित कराने के लिये द्वितीय पक्ष स्वतन्त्र होगा एवं इस प्रकार वैकल्पिक व्यवस्था से कार्य करने में जो अतिरिक्त व्यय द्वितीय पक्ष को वहन करना पड़ेगा उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम पक्ष द्वारा जमा कराई गई जमानत एवं अन्य देय राशियों से करने का द्वितीय पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा।

61. प्रथम पक्ष यदि किन्ही कारणों से अनुबन्ध से पृथक होना चाहता है अथवा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उन्हें इस आशय का तीन माह का नोटिस उत्तराखण्ड वन विकास निगम को देना होगा। इसके उपरान्त भी कार्य से पृथक होने के आवेदन से तीन माह से कम का सीजन शेष रह जाता है तो कांटों को उखाड़ने की अनुमति नहीं होगी और निगम द्वारा विभागीय अथवा अन्य आयोजन से स्थापित कांटों का संचालन किया जायेगा और संचालन पर हुए व्यय को घटाते हुए अवशेष धनराशि का भुगतान निविदादाता को किया जायेगा।
62. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विधिक कार्य क्षेत्र (Legal Jurisdiction) जनपद में होगा।
63. Force Majeure :-किसी दैवीय/प्राकृतिक आपदा, बाढ़, चोरी, आग एवं अन्य आपदायें आदि से प्रथम पक्ष के मशीन, औजार आदि को हुई हानि के लिये द्वितीय पक्ष का किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा एवं प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से किसी भी प्रकार के मुआवजे, अनुग्रह राशि पाने का अधिकारी नहीं होगा।

संलग्नक (Annexure)

64. यह कि संलग्नक-1 में वर्णित स्थलों पर दो तौल कांटे स्थापित किये जायेंगे, जहां पर उप-खनिज की तौल की जानी है।
65. प्रथम पक्ष द्वारा दिया गया विषय वचनबद्धता पत्र (Letter of Undertaking) इस अनुबन्ध पत्र का संलग्नक-2 है।
66. प्रथम पक्ष द्वारा दी गई तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में दिये गये तथ्य एवं घोषणा इस अनुबन्ध पत्र के संलग्नक-3 एवं संलग्नक-4 पर हैं।

उपरोक्त तिथि को उपस्थित साक्ष्यों के मध्य दोनों पक्षों द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पत्रांक द्वारा प्राप्त अनुमोदन एवं प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित किया गया।

द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

साक्षी

1.

2.

साक्षी

1

2